अनुबंध a

मुख्य तथ्य विवरण

तारीख: **रेगुलेटेड एंटिटी का नाम** DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। **लोन रेफरेंस / एप्लीकेशन नंबर:**

आवेदक का नाम:

क्रमांक।	**पैरामीटर**	**विवरण**
1	लोन का प्रकार और उद्देश्य लोन का इस्तेमाल सिर्फ़ इस Key Facts Statement में बताए गए मकसद के लिए किया जाएगा और खास तौर पर नीचे दिए गए कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा: (a) कैपिटल मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट, जिसमें स्टॉक, बॉन्ड और दूसरी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ शामिल हैं (b) किसी भी रूप में सोना खरीदना, जिसमें प्राइमरी गोल्ड, गोल्ड बुलियन, गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) की यूनिट और गोल्ड म्यूचुअल फंड की यूनिट शामिल हैं या (c) कोई भी स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट या स्पेक्युलेटिव मकसद या (d) किसी भी ऐसी एक्टिविटी के लिए जो गैर-कानूनी है या कानून द्वारा मना है या जिसके लिए लोन फंड का इस्तेमाल कानून द्वारा रिस्ट्रिक्टेड है।	[●]
2	स्वीकृत ऋण	
3	संवितरण अनुसूची (i) चरणों में संवितरण अथवा 100% अग्रिम भुगतान। (ii) यदि यह चरणवार है, तो ऋण की शर्त का उल्लेख करें प्रासंगिक विवरण वाला समझौता	100% अग्रिम
4	लोन की अवधि (साल/महीने/दिन)	[●] महीने
5	किस्त विवरण	
(ए)	किश्तों का प्रकार	
(बी)	ईपीआई की संख्या	
(सी)	ईपीआई (₹)	
(डी)	स्वीकृति के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत	
6	**ब्याज दर** % **और प्रकार –** घटती शेष राशि पर निश्चित/फ्लोटिंग	
(ए)	**निश्चित ब्याज दर** अगर लोन शुरू में फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर 7 साल से ज़्यादा समय के लिए दिया गया है, तो लेंडर को लोन देने की तारीख से 7 साल खत्म होने पर लागू इंटरेस्ट रेट को फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में बदलने का अधिकार होगा। 7 साल पूरे होने से 90 (नब्बे) दिन पहले, DMI बॉरोअर को उस समय के फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट और लागू कन्वर्ज़न चार्ज के बारे में लिखकर बताएगा और बॉरोअर को बिना किसी प्री-क्लोज़र चार्ज के सैंक्शन्ड लोन को प्रीपे करने का ऑप्शन देगा। अगर बॉरोअर 7 साल खत्म होने से पहले प्रीपे करने का ऐसा ऑप्शन नहीं लेता है, तो लेंडर को लागू इंटरेस्ट रेट को फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में बदलने का अधिकार होगा।	_____% **पीए**

<table>
<tr><td>(बी)</td><td>फ्लोटिंग ब्याज दर</td><td colspan="2">बेंचमार्क रेट: DMI फ्लोटिंग रेफरेंस रेट, जिसे DMI अपनी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के हिसाब से तय करता है। इस रेट में कोई भी बदलाव होने पर लागू इंटरेस्ट रेट में बदलाव होगा और DMI इसकी जानकारी बॉरोअर को लिखकर देगा।

बेंचमार्क दर:
फैलाना:
फाइनल रेट: बेंचमार्क रेट + स्प्रेड:

रीसेट पीरियड: DMI द्वारा तय किए गए अंतराल पर

बेंचमार्क रेट में बदलाव का असर:

बेंचमार्क रेट में 25 bps की बढ़ोतरी के लिए, इसमें बदलाव:
<table><tr><td>ईपीआई (रु.)</td><td>ईपीआई की संख्या</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>
बेंचमार्क रेट में 25 bps की कमी के लिए, इसमें बदलाव:
<table><tr><td>ईपीआई (रु.)</td><td>ईपीआई की संख्या</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>7</td><td>लोन की पूरी अवधि के दौरान लिया गया कुल ब्याज (रुपये में)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>8</td><td>फीस/चार्ज, (अगर कोई हो) (हर हिस्से का ब्योरा नीचे दिया जाएगा) (रुपये में)</td><td colspan="2">ए+बी+सी+डी</td></tr>
<tr><td>ए</td><td>प्रोसेसिंग फीस (GST सहित), अगर कोई हो (रुपये में) (एक बार में)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>बी</td><td>बीमा (GST सहित) (रुपये में) (एक बार)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>सी</td><td>लीगल और वैल्यूएशन (GST सहित) (रुपये में) (एक बार में)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>डी</td><td>कोई और चार्ज (GST मिलाकर) (अगर कोई हो) (रुपये में) (एक बार में)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>9</td><td>कुल वितरित राशि (रुपये में)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>10</td><td>कर्जदार को चुकानी होगी कुल रकम (रुपये में)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>11</td><td>वार्षिक प्रतिशत दर (APR) %</td><td colspan="2">%</td></tr>
<tr><td>1 2</td><td>ऋण भुगतान का तरीका</td><td colspan="2">अधिदेश</td></tr>
<tr><td colspan="4">कंटिंजेंट चार्ज के बारे में जानकारी (₹ या % में, जैसा लागू हो) **</td></tr>
<tr><td>1 3</td><td colspan="3">बाउंस चार्ज*** -</td></tr>
<tr><td>1 4</td><td colspan="3">पूर्व-बंद शुल्क –

अगर लोन शुरू में 7 साल से ज़्यादा समय के लिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर दिया गया है, तो कोई प्री-क्लोज़र चार्ज नहीं लगेगा, अगर बॉरोअर, DMI के दिए गए प्रीपेमेंट ऑप्शन के हिसाब से, सैंक्शन्ड लोन मिलने की तारीख से 7 साल के आखिर में, सैंक्शन्ड लोन का प्रीपेमेंट कर देता है।</td></tr>
<tr><td>15</td><td colspan="3">फ्लोटिंग इंटरेस्ट से फिक्स्ड या इसके विपरीत स्विच करने के लिए कन्वर्ज़न चार्ज -</td></tr>
<tr><td>1 6</td><td colspan="3">ओवरड्यू चार्जेस -</td></tr>
<tr><td>17</td><td colspan="3">देर से पेमेंट करने पर जुर्माना****-</td></tr>
<tr><td>1 8</td><td colspan="3">अन्य शुल्क (वैकल्पिक तरीकों/गैर-नच के लिए लागू) - 30 रुपये तक + जीएसटी</td></tr>
<tr><td>19</td><td colspan="3">NACH रिजेक्शन चार्ज – NA</td></tr>
<tr><td>20</td><td colspan="3">एनएसीएच स्वैपिंग शुल्क</td></tr>
<tr><td>2 1</td><td colspan="3">सुरक्षा के बारे में विवरण</td></tr>
<tr><td>(ए)</td><td>गारंटर का नाम और पता (अगर कोई हो)</td><td colspan="2">नाम:</td></tr>
</table>

		पता: संविधान (व्यक्तिगत/कंपनी/साझेदारी/एकमात्र स्वामित्व/अन्य): व्यवसाय की प्रकृति:
(बी)	गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी का पता और विवरण	प्रॉपर्टी का पता: प्रॉपर्टी का विवरण: प्रॉपर्टी के मालिक का नाम: मॉर्गेज का प्रकार: इक्विटेबल मॉर्गेज
(सी)	पोस्ट डेट चेक की संख्या और राशि	संख्या: मात्रा:
(डी)	मांग वचन पत्र	मात्रा:
22	**डिजिटल लोन के मामले में, ये खास बातें बताई जा सकती हैं:**	
(ए)	DMI की बोर्ड से मंज़ूर पॉलिसी के हिसाब से कूलिंग ऑफ़/लुक-अप पीरियड, जिसके दौरान लोन के प्रीपेमेंट पर बॉरोअर से कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी।	**[-] दिन**
(बी)	रिकवरी एजेंट के तौर पर काम करने वाले और कर्जदार से संपर्क करने के लिए अधिकृत LSP की जानकारी	
(सी)	LSP/सोर्सिंग पार्टनर/चैनल का नाम जो रिकवरी के अलावा लोन से जुड़ी दूसरी सर्विस देता है (जैसे सोर्सिंग, मार्केटिंग वगैरह)	
23	लोन एग्रीमेंट का क्लॉज़ / रिकवरी एजेंट्स की नियुक्ति से जुड़े आम नियम और शर्तें	**खंड 17.2**
24	लोन एग्रीमेंट का क्लॉज़ / आम नियम और शर्तें जिसमें शिकायत सुलझाने के तरीके की जानकारी दी गई है	**खंड 17.6**
25	क्या लोन दूसरी रेगुलेटेड एंटिटीज़ को ट्रांसफर किया जा सकता है, या भविष्य में किया जा सकता है या सिक्योरिटाइज़ेशन किया जा सकता है - (हाँ/नहीं)	**हाँ**
26	**गोपनीयता नीति** - https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/	
2 7	**नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी** **शिकायत निवारण अधिकारी (उपभोक्ता ऋण)** नाम- आशीष सरीन पद- सीनियर वाइस प्रेसिडेंट - कस्टमर सक्सेस ईमेल पता: head.services@dmifinance.in/ Grievance@dmifinance.in पता: एक्सप्रेस बिल्डिंग, तीसरी मंज़िल, 9-10, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 संपर्क नंबर: 011-41204444 **https://www.dmifinance.in/fair-practice/**	

**** कंटिंजेंट चार्ज कंपनी की पॉलिसी के आधार पर बदले जा सकते हैं।**
चेक या किसी भी मैंडेट के डिसऑनर होने पर हर बार डिसऑनर होने पर बाउंस चार्ज देना होगा।
****** अगर बॉरोअर के पास रजिस्टर्ड मैंडेट नहीं है, तो EPI का पेमेंट उसकी ड्यू डेट पर न कर पाने/देरी होने पर लेट पेमेंट पेनल्टी देनी होगी।**

अगर लोन की अवधि के दौरान लिया गया कुल ब्याज, प्रोसेसिंग फीस, कुल दिया गया अमाउंट, और कुल देय अमाउंट इस KFS के मंज़ूरी/जारी होने की तारीख के बाद का है, तो इसमें बदलाव हो सकता है। इससे APR भी बढ़ सकता है, लेकिन APR DMI की इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से तय होगा। अपडेटेड KFS जारी किया जाएगा और वेलकम लेटर के साथ बॉरोअर के साथ शेयर किया जाएगा। अगर ऐसे किसी भी बदलाव से DMI की इंटरनल पॉलिसी गाइडलाइन्स का उल्लंघन होता है, तो DMI के पास लोन मंज़ूरी को कैंसल करने का भी अधिकार है ।

डिस्बर्समेंट डिटेल्स (जिस अकाउंट में डिस्बर्समेंट किया जाना है)

मात्रा		**बैंक का नाम**	

खाता धारक का नाम		**शाखा आईएफएससी**	
खाता नंबर।			

टिप्पणी

रिस्क के लेवल के लिए DMI का तरीका और अलग-अलग कैटेगरी के बॉरोअर्स से अलग-अलग इंटरेस्ट रेट लेने का कारण समझने के लिए, कृपया https://www.dmifinance.in/investor-relations/policies/ पर उपलब्ध DMI की इंटरेस्ट रेट और चार्ज पर पॉलिसी देखें।

स्वीकृति:

मैं/हम (उधारकर्ता) इस मुख्य तथ्य कथन की प्राप्ति की पुष्टि करता/करती हूँ और मेरी/हमारी स्वीकृति की पुष्टि करता/करती हूँ और बताता/बताती हूँ कि उपरोक्त शर्तों पर डीएमआई द्वारा दिया गया स्वीकृत ऋण सुविधा अनुबंध, इस मुख्य तथ्य कथन, ऋण आवेदन सहित उसके अनुलग्नकों और मेरे/हमारे द्वारा निष्पादित या स्वीकृत ऋण के संबंध में डीएमआई द्वारा आवश्यक किसी भी दस्तावेज़ द्वारा नियंत्रित होगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है ("वित्तपोषण दस्तावेज़")।

मैं/हम फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स की शर्तों को कानूनी तौर पर मानने के लिए सहमत हूँ/हैं। मैं/हम समझते हैं कि मेरी/हमारी मंज़ूरी का मतलब होगा: (i) फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स में बताए गए सभी नियमों और शर्तों को बिना किसी बदलाव के मानने और उनसे बिना किसी शर्त के बंधे रहने की मेरी/हमारी सहमति; और (ii) बॉरोअर की यह मंज़ूरी और कन्फर्मेशन कि यह की फैक्ट स्टेटमेंट (दूसरे फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ) मैंने/हमने आम भाषा में या ऐसी भाषा में जिसे मैं/हम समझते हैं, ठीक से पढ़ा और पूरी तरह से समझा है।

मैं / हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं / हम इस मुख्य तथ्य कथन में अनुमत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए स्वीकृत ऋण का उपयोग नहीं करेंगे और विशेष रूप से इसका उपयोग (ए) पूंजी बाजारों में किसी भी निवेश के लिए नहीं करेंगे, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां शामिल हैं (बी) किसी भी रूप में सोने की खरीद, जिसमें प्राथमिक सोना, सोने की बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयां और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयां शामिल हैं या (सी) किसी भी सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य के लिए या (डी) किसी भी गतिविधि के लिए जो कानून द्वारा अवैध या निषिद्ध है या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है ।

अनुलग्नक बी

लोन के लिए APR का कैलकुलेशन

सीनियर नहीं।	पैरामीटर	विवरण
1	मंज़ूर लोन की रकम (रुपये में) (KFS टेम्पलेट का सीरियल नंबर 3 – एनेक्सर A)	20,000
2	**लोन की अवधि (महीनों में) (KFS टेम्पलेट का सीरियल नंबर 5 – एनेक्सर A)**	24
ए)	नॉन-इक्वेटेड पीरियोडिक लोन के मामले में, प्रिंसिपल पेमेंट के लिए किश्तों की संख्या	-
बी)	(i) EPI का प्रकार (उधारकर्ता की चुकौती आवृत्ति) (ii) प्रत्येक ईएमआई/ईपीआई की राशि (रुपये में) और (iii) EPI की संख्या (जैसे, महीने की किश्तों के मामले में EMI की संख्या) (केएफएस टेम्पलेट का सीरियल नंबर 5ए, 5बी और 5सी – अनुलग्नक ए)	महीने के 970 24
सी)	**कैपिटलाइज़्ड ब्याज के पेमेंट के लिए किश्तों की संख्या, अगर कोई हो**	-
डी)	मंज़ूरी के बाद रीपेमेंट शुरू करना (KFS टेम्पलेट का सीरियल नंबर 5D – एनेक्सर A)	दिनांक/माह/वर्ष
3	ब्याज दर का प्रकार (KFS टेम्पलेट का सीरियल नंबर 6 – एनेक्सर A)	घटते बैलेंस के आधार पर तय
4	ब्याज दर (KFS टेम्पलेट का सीरियल नंबर 6 – एनेक्सर A)	15 % प्रति वर्ष
5	लोन की पूरी अवधि के दौरान लगने वाला कुल ब्याज (रुपये में) डिस्बर्सल की तारीख पर लागू ब्याज दर के अनुसार। (केएफएस टेम्पलेट का सीरियल नंबर 7 – अनुलग्नक ए)	3,274
6	देय शुल्क/प्रभार (रुपये में)	240
ए	DMI को देय (KFS टेम्पलेट-अनुलग्नक A का सीरियल नंबर 8A, 8B और 8C)	240
बी	DMI के ज़रिए थर्ड-पार्टी को पेमेंट किया जाएगा	0
7	नेट डिस्बर्स्ड अमाउंट (KFS टेम्पलेट का सीरियल नंबर 3- सीरियल नंबर 8 - एनेक्सर A) (रुपये में)	19,600
8	कर्ज लेने वाले को चुकानी होगी कुल रकम (KFS टेम्पलेट-एनेक्सर A के सीरियल नंबर 3 और सीरियल नंबर 7 का जोड़) (रुपये में)	23,274
9	एनुअल परसेंटेज रेट- इफेक्टिव एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट (परसेंटेज में) (KFS टेम्पलेट का सीरियल नंबर 11-एनेक्सर A)	17.07%
10	नियम और शर्तों के अनुसार डिस्बर्समेंट का शेड्यूल	100% पहले से।
11	किस्त और ब्याज के भुगतान की नियत तारीख	हर महीने की 05 तारीख को

• डिटेल्ड रीपेमेंट शेड्यूल के तहत दी गई किश्तों के टोटल से कैलकुलेट की गई रीपेमेंट रकम और ऊपर बताई गई रकम में जो अंतर (अगर कोई हो) है, वह डिटेल्ड रीपेमेंट शेड्यूल के तहत किश्त की रकम को राउंड ऑफ करने की वजह से हो सकता है।

- APR को IRR अप्रोच और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का इस्तेमाल करके नेट डिस्बर्स्ड अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाता है।
- इस लोन फैसिलिटी पर लागू चार्ज और डिडक्शन एप्लीकेशन फॉर्म में बताए गए हैं और मुझे ठीक से समझा दिए गए हैं।

अनुलग्नक सी

लोन के लिए इक्वेटेड पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट के तहत रीपेमेंट शेड्यूल

सुविधा समझौता

यह सुविधा समझौता (" **समझौता** ") **डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड** , जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वैध रूप से विद्यमान है और जिसके बीच संलग्न अनुसूची 1 में निर्दिष्ट स्थान और तारीख को किया गया है इसका दर्ज कराई कार्यालय पर अभिव्यक्त करना इमारत तीसरा ज़मीन, 9- 10 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली - 110002 (जिसे आगे **"डीएमआई / ऋणदाता" कहा जाएगा** करेगा, जब तक यह हो प्रतिकूल को अर्थ या प्रसंग उसके, अर्थ और शामिल करना इसके उत्तराधिकारियों और असाइन करता है)

और

वह व्यक्ति(यों) जिनका नाम(नामों) और पता(पते) अनुसूची 1 में दिए गए हैं (जिन्हें आगे " **उधारकर्ता(यों)** " कहा जाएगा) करेगा, जब तक यह हो प्रतिकूल को अर्थ या प्रसंग इसमें इसके/उनके संबंधित वारिस, कानूनी प्रतिनिधि, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, उत्तराधिकारी और परमिटेड असाइनी शामिल हैं। इस एग्रीमेंट की संबंधित स्थानीय भाषा में ट्रांसलेटेड कॉपी DMI की वेबसाइट पर उपलब्ध है और मांगने पर मुझे/हमें भी दी जा सकती है ।

"उधारकर्ता(ओं)" और "डीएमआई" को इसके बाद व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" और सामूहिक रूप से "पक्ष" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

1. परिभाषाएं

1.1. इस में एग्रीमेंट, जब तक कि उसमें सब्जेक्ट या कॉन्टेक्स्ट के लिए कुछ भी गलत न हो, नीचे दिए गए शब्दों के ये मतलब होंगे:

a. " **लागू ब्याज दर** " का तात्पर्य या तो निश्चित ब्याज दर या फ्लोटिंग ब्याज दर से है जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट है और इस समझौते की शर्तों के अनुसार डीएमआई द्वारा गणना की जाती है ।

b. " **बेंचमार्क दर** " का अर्थ है : DMI फ्लोटिंग रेफरेंस रेट, जिसे DMI समय-समय पर अपनी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी (DMI की वेबसाइट पर पब्लिश) के अनुसार तय और बदलता है ।

c. " **उधार लेने वाला**" इसका मतलब है कि की फैक्ट स्टेटमेंट में बताई गई बॉरोअर की डिटेल्स में कोई भी सक्सेसर और परमिशन्ड असाइनी (जैसा लागू हो) शामिल होंगे । आसानी से समझने के लिए, को-बॉरोअर्स को, एक साथ यहां 'बॉरोअर' भी कहा जाएगा ।

d. " **बाउंस शुल्क** " से तात्पर्य किसी भी स्थायी निर्देश सहित चेक या किसी मैंडेट (यदि मैंडेट पंजीकृत है) के अनादर के कारण भुगतान में विफलता के मामले में उधारकर्ता द्वारा देय मैंडेट अनादर या बाउंसिंग शुल्क से है, जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित है, ऐसे अनादर की प्रत्येक घटना के लिए;

e. " **व्यावसायिक दिवस** " का तात्पर्य उस दिन से है जिस दिन दिल्ली में बैंक कार्य के लिए खुले रहते हैं और इसमें ऐसे स्थानों पर रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश शामिल नहीं हैं।

f. " **रूपांतरण शुल्क** " से तात्पर्य उस शुल्क से है (जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित किया गया है) जो डीएमआई द्वारा उधारकर्ता से लिया जाता है यदि उधारकर्ता फ्लोटिंग ब्याज दर से फिक्स्ड ब्याज दर पर या इसके विपरीत स्विच करना चाहता है।

g. " **कूलिंग ऑफ पीरियड** " का तात्पर्य संबंधित मुख्य तथ्य कथन में निर्दिष्ट अवधि से है, जो उधारकर्ता को वितरित स्वीकृत ऋण से बाहर निकलने के लिए दी जाती है, यदि उधारकर्ता ऐसे ऋण को जारी न रखने का निर्णय लेता है।

h. " **क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी** " का तात्पर्य किसी भी आरबीआई द्वारा अनुमोदित क्रेडिट सूचना कंपनियों से है, जिसमें बिना किसी सीमा के, ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड, इक्विफैक्स, सीआरआईएफ हाई मार्क और एक्सपीरियन शामिल हैं।

i. " **बकाया** " से तात्पर्य ऋणी(ओं) द्वारा डी.एम.आई. को स्वीकृत ऋण के लिए समय-समय पर देय सभी राशियों से है, जिसमें ऋण के पुनर्भुगतान के लिए देय मूल राशि, ब्याज, अतिदेय शुल्क, रूपांतरण शुल्क, फीस, लागत, बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति, वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार देय अन्य शुल्क और व्यय शामिल हैं।

j. किसी भी उधारकर्ता के बकाये के संबंध में किसी भी भुगतान के संबंध में "**देय तिथि**" का अर्थ वह तिथि है जिस पर वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार स्वीकृत ऋण के संबंध में उधारकर्ता से डीएमआई को कोई राशि देय होती है।

k. " **भार** " का अर्थ होगा कोई भी (ए) शुल्क, सेट-ऑफ या काउंटर दावे का अधिकार, सुरक्षा हित या अन्य भार, सुरक्षा पत्र या किसी भी प्रकार की व्यवस्था, (बी) खरीद या विकल्प समझौता या व्यवस्था, (सी) अधीनता समझौते या व्यवस्था, और (डी) उपरोक्त में से किसी को बनाने या प्रभावित करने के लिए समझौते।

l. " **ईपीआई** " का अर्थ है पुनर्भुगतान की समान या निश्चित राशि, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों घटक शामिल होते हैं, जिसे उधारकर्ता द्वारा स्वीकृत ऋण के पुनर्भुगतान के लिए निश्चित अंतराल पर निश्चित संख्या में अंतराल पर भुगतान किया जाता है जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक मामले में ऐसे ऋण की अवधि के भीतर स्वीकृत ऋण का परिशोधन हो जाएगा।

m. " **वित्तपोषण दस्तावेज़** " इसका अभिप्राय इस अनुबंध के साथ-साथ अनुलग्नक, सुरक्षा दस्तावेज, ऋण आवेदन, मुख्य तथ्य विवरण और अन्य सभी अनुबंध, लिखत, उपक्रम, अनुबंध, विलेख, लेख और अन्य दस्तावेज हैं, जिन्हें उधारकर्ता द्वारा या जैसा भी मामला हो, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, इस अनुबंध और/या समय-समय पर संशोधित अन्य वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत या उसके संबंध में निष्पादित किया गया है या किया जाना है।

n. " **निश्चित ब्याज दर** " से तात्पर्य मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित निश्चित वार्षिक ब्याज दर से है।

o. " **फ्लोटिंग ब्याज दर** " का अर्थ है बेंचमार्क दर प्लस स्प्रेड जैसा कि डीएमआई द्वारा तय किया गया है और मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित किया गया है।

p. " **गारंटी** " से तात्पर्य वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता(ओं) की देयता को चुकाने के लिए गारंटर (यदि कोई हो) द्वारा दी गई गारंटी (यदि कोई हो) से है।

q. " **गारंटर** " का मतलब है वह व्यक्ति/व्यक्तियाँ जिसने गारंटी दी है। गारंटर हमेशा ऐसा व्यक्ति/व्यक्तियाँ होंगी जो DMI को गारंटर के तौर पर मंज़ूर हों।

r. " **ब्याज** " से तात्पर्य स्वीकृत ऋण की बकाया मूल राशि पर लागू ब्याज दर और संबंधित मुख्य तथ्य कथन में दिए गए तरीके से देय ब्याज से है, यदि कोई हो ।

s. " **मुख्य तथ्य विवरण** " से तात्पर्य ऋण के मुख्य तथ्यों और शर्तों से है, जो सरल और समझने में आसान भाषा में डीएमआई द्वारा उधारकर्ता को समय-समय पर लागू कानून के अंतर्गत निर्धारित मानकीकृत प्रारूप में उपलब्ध कराया जाता है , जिसमें अन्य आवश्यक जानकारी के अलावा, वार्षिक प्रतिशत दर का विवरण, संग्रह एजेंसी का विवरण, यदि कोई हो, शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण, कूलिंग ऑफ अवधि आदि शामिल होता है।

t. " **देर से भुगतान जुर्माना** " से तात्पर्य मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित दंड राशि से है, जो उधारकर्ता द्वारा ईपीआई (ओं) / उधारकर्ता के बकाये के भुगतान में प्रासंगिक देय तिथि पर देरी के प्रत्येक घटना पर देय होता है, ऐसे उधारकर्ता द्वारा जिसके पास पंजीकृत अधिदेश नहीं है ।

u. " **ऋण आवेदन** " से तात्पर्य डी.एम.आई. से स्वीकृत ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से उधारकर्ता द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए गए आवेदन से है ।

v. " **मटीरियल एडवर्स इफ़ेक्ट " का मतलब है कोई भी ऐसी घटना जिसका** (i) बॉरोअर की ड्यूज़ चुकाने की क्षमता पर बुरा असर पड़े ; या (ii) फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत DMI के अधिकारों और उपायों पर, जिसमें सिक्योरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू या रियलाइज़ेबिलिटी पर कोई बुरा असर शामिल है; या (iii) बॉरोअर के ड्यूज़ की रिकवरी पर बुरा असर पड़े। DMI द्वारा यह तय करना कि किसी घटना को मटीरियल एडवर्स इफ़ेक्ट माना जाना चाहिए या नहीं, बॉरोअर पर लागू होगा।

w. **"ओवरड्यू चार्ज" का मतलब है, संबंधित की फैक्ट स्टेटमेंट में बताए गए पेनल्टी चार्ज, जो उन सभी अमाउंट पर देने होंगे जो उनकी ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं किए जाते हैं। ओवरड्यू चार्ज को लेंडर कैपिटलाइज़ नहीं करेगा , यानी ऐसे ओवरड्यू चार्ज पर कोई और ब्याज कैलकुलेट नहीं किया जाएगा ।**

x. " **व्यक्ति** " जब तक विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया जाए, इसका अभिप्राय किसी भी व्यक्ति (उसके पति/पत्नी, बच्चों, माता-पिता, भाई-बहन और भाई-बहन के पति/पत्नी सहित), निगम, साझेदारी, व्यक्तियों का संघ, संयुक्त उद्यम, समाज, कंपनी, ट्रस्ट या सरकारी प्राधिकरण या कोई अन्य कानूनी इकाई या साधन से है, जैसा कि संदर्भ में स्वीकार किया जा सकता है।

y. " **पोस्ट डेट चेक** " या " **पीडीसी** " का तात्पर्य उधारकर्ता द्वारा जारी किए गए चेक से है, जिसमें ईपीआई या डीएमआई को किसी अन्य देयता के भुगतान के लिए बिना दिनांक वाले चेक शामिल हैं।

z. " **प्री-क्लोज़र चार्ज** " का मतलब है DMI द्वारा लगाई जाने वाली फीस या चार्ज, जब बॉरोअर लोन की तय अवधि खत्म होने से पहले अपने कुल बकाया लोन अमाउंट का प्री-पेमेंट करना चुनता है, जैसा कि संबंधित मुख्य तथ्य कथन में बताया गया है।

aa. " **पार्ट प्री-पेमेंट चार्ज** " का मतलब है DMI द्वारा लगाई जाने वाली फीस या चार्ज, जब बॉरोअर अपने बकाया प्रिंसिपल अमाउंट का कुछ हिस्सा, उस प्रिंसिपल अमाउंट के ड्यू होने से पहले प्री-पे करने का ऑप्शन चुनता है, जैसा कि संबंधित की फैक्ट स्टेटमेंट में बताया गया है।

bb. " **गोपनीयता नीति** " का तात्पर्य डीएमआई की गोपनीयता नीति से है जो https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/ पर उपलब्ध है।

cc. " **संपत्ति** " का तात्पर्य डी.एम.आई. के पक्ष में बंधक रखी गई संपत्ति(संपत्तियों) से है, जिसका विवरण मुख्य तथ्य विवरण में दिया गया है, जिसमें उसमें किए गए या हुए सुधार और संपत्ति से उत्पन्न होने वाले सभी लाभ शामिल हैं।

dd. " **आरबीआई** " का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक से है जिसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत की गई थी।

ee. " **रिकवरी एजेंट** " से तात्पर्य किसी तीसरे पक्ष या ऋणदाता द्वारा नियुक्त एजेंट से है, जो डिफ़ॉल्ट की घटना होने पर संपत्ति का कब्ज़ा लेने में सुविधा प्रदान करता है।

ff. " **प्रासंगिक प्राधिकरण** " से तात्पर्य उचित प्राधिकरण से है, जो समय-समय पर संपत्ति के संबंध में पंजीकरण और/या उपयोग के लिए प्राधिकरण और/या परमिट/लाइसेंस/पंजीकरण जारी करने और/या करों या इसी तरह के शुल्कों के संग्रह और/या पंजीकरण के लिए जिम्मेदार या प्रभारी होता है।

gg. " **स्वीकृत** " **ऋण** " का अर्थ है मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित क्रेडिट सुविधा की राशि जो डीएमआई द्वारा उधारकर्ता को वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों और नियमों पर दी जाती है।

hh. " **सुरक्षा दस्तावेज़** " इसका अभिप्राय उन सभी दस्तावेजों से है जो किसी सुरक्षा प्रदाता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा डीएमआई के लाभ के लिए दर्ज किए गए, निष्पादित किए गए, वितरित किए गए या जमा किए गए हैं ताकि देयताओं (या उसके किसी भाग) को सुरक्षित करने के लिए डीएमआई के पक्ष में कोई सुरक्षा हित बनाया या प्रभावी किया जा सके, उसे पूर्ण किया जा सके और बनाए रखा जा सके और कोई अन्य दस्तावेज जिसे डीएमआई द्वारा लिखित रूप में सुरक्षा दस्तावेज के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

ii. " **सुरक्षा ब्याज** " में इस अनुबंध के खंड 6.1 में निर्धारित सुरक्षा और किसी भी प्रकार या प्रकृति का कोई भी सुरक्षा हित शामिल है, जो कि मुख्य तथ्य कथन में उल्लिखित डीएमआई के पक्ष में उधारकर्ता द्वारा बनाया गया है या बनाया जाने वाला है, जिसमें बंधक, भार, ग्रहणाधिकार, या किसी भी परिसंपत्ति पर बकाया राशि के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के साधन के रूप में बनाया गया कोई अन्य उच्च ब्याज शामिल है।

jj. " **सुरक्षा प्रदाता** " से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने देयताओं को सुरक्षित करने के लिए डी.एम.आई. के पक्ष में कोई सुरक्षा हित सृजित किया हो अथवा कोई सुरक्षा दस्तावेज निष्पादित, वितरित अथवा जमा किया हो।

2. ऋण

2.1. DMI, बॉरोअर की रिक्वेस्ट, रिप्रेजेंटेशन, वारंटी, एग्रीमेंट और अंडरटेकिंग के आधार पर, जैसा कि यहां और दूसरे फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है, बॉरोअर को सैंक्शन्ड लोन उन शर्तों और नियमों पर देने के लिए सहमत है जो फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स में पूरी तरह से बताए गए हैं ।

2.2. , मुख्य तथ्य कथन में बताए गए स्वीकृत ऋण को, उधार लेने वाला के बैंक अकाउंट में भेज देगा । यह DMI के इंटरनल प्रोसेस के हिसाब से उधार लेने वाला का वेरिफिकेशन और चेक पूरा होने पर होगा। अगर ऐसा वेरिफिकेशन संतोषजनक नहीं होता है, तो DMI को अपनी मर्ज़ी से स्वीकृत ऋण को कैंसल करने का अधिकार होगा । स्वीकृत ऋण के किसी भी कैंसलेशन के बारे में उधार लेने वाला को ठीक से बताया जाएगा।

2.3. बॉरोअर को मुख्य तथ्य कथन में बताए गए नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग चार्ज देने होंगे, साथ ही उस पर लागू होने वाला

Goods and Services Tax भी देना होगा। इसे दिए गए स्वीकृत ऋण में से रखा/काटा जा सकता है, लेकिन इसे बॉरोअर को दिया गया माना जाएगा और इसलिए बॉरोअर पूरे Loan के लिए ज़िम्मेदार होगा। अगर बॉरोअर Cooling off Period के दौरान बाहर निकलने का ऑप्शन चुनता है, तो प्रोसेसिंग फीस वापस नहीं की जाएगी।

2.4. बॉरोअर DMI के मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए अपने लोन, बकाया ड्यूज़ की डिटेल्स देख सकते हैं और रीपेमेंट भी कर सकते हैं।

2.5. कर्जदार को कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान, बिना किसी पेनल्टी के, प्रिंसिपल और उसी हिसाब से APR चुकाकर दिए गए सैंक्शन्ड लोन से बाहर निकलने का ऑप्शन दिया जाएगा। कर्जदार जो कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद भी सैंक्शन्ड लोन जारी रखता है, उसे प्री-क्लोजर/पार्ट प्री-पेमेंट की इजाज़त होगी, बशर्ते DMI ने की फैक्ट स्टेटमेंट में जो शर्तें और प्री-क्लोजर चार्ज/पार्ट प्री-पेमेंट चार्ज बताए हैं, वे लागू हों।

3. पुनर्भुगतान और ब्याज

3.1. बॉरोअर, सेंक्शन्ड लोन की अवधि के दौरान हर ड्यू डेट पर EPI के ज़रिए बकाया सेंक्शन्ड लोन और उस पर ब्याज (अगर कोई हो) चुकाएगा , जैसा कि मुख्य तथ्य कथन में बताया गया है। EPI की गिनती DMI द्वारा की जाएगी, जैसा कि सेंक्शन्ड लोन और उस पर दिए जाने वाले ब्याज को तय अवधि के अंदर चुकाने के लिए ज़रूरी है और यह मुख्य तथ्य कथन में दिए गए ज़्यादा से ज़्यादा EPI से ज़्यादा नहीं होगा। EPI सिर्फ़ सेंक्शन्ड लोन और उस पर दिए जाने वाले ब्याज के लिए होगा और इसमें कोई ओवरड्यू चार्ज/लेट पेमेंट पेनल्टी या बॉरोअर द्वारा फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के अनुसार दिए जाने वाले कोई अन्य चार्ज शामिल नहीं हैं। पहले EPI की रकम और तारीख सेंक्शन्ड लोन के डिस्बर्समेंट की तारीख के आधार पर बदल सकती है और ऐसी बदली हुई तारीख और रकम के बारे में बॉरोअर को ऐसे पेमेंट की ड्यू डेट से पहले बता दिया जाएगा। बॉरोअर यह मानता है कि उसने EPI के कैलकुलेशन का तरीका समझ लिया है और वह इस पर कोई विवाद नहीं करेगा । किसी भी हालत में, अगर किसी भी वजह से लोन का समय ओरिजिनल समय से आगे बढ़ाया जाता है, तो बॉरोअर को मंज़ूर लोन का बकाया प्रिंसिपल अमाउंट, ओवरड्यू चार्ज, बाउंस चार्ज, लेट पेमेंट पेनल्टी और ऐसे दूसरे ब्याज/चार्ज देने होंगे, जो की फैक्ट्स स्टेटमेंट में बताए गए हैं।

3.2. के लिए बॉरोअर की लायबिलिटी तभी खत्म होगी जब लोन अकाउंट में बकाया और सभी इंटरेस्ट और चार्ज (मुख्य तथ्य कथन के अनुसार) ज़ीरो हो जाएंगे।

3.3. मंज़ूर लोन का प्री-पेमेंट उन शर्तों और प्री-पेमेंट चार्ज के साथ दिया जाएगा, जैसा कि DMI ने मुख्य तथ्य कथन में बताया है।

3.4. हर EPI और बाकी सभी Dues (अगर कोई हो) का समय पर पेमेंट करना कॉन्ट्रैक्ट का ज़रूरी हिस्सा है।

3.5. अगर बॉरोअर के पास रजिस्टर्ड मैंडेट नहीं है और बॉरोअर किसी भी EPI को उसकी ड्यू डेट पर पे करने में फेल रहता है/देरी करता है, तो बॉरोअर को EPI पे करने में ऐसी फेलियर/देरी पर लेट पेमेंट पेनल्टी देनी होगी, जैसा कि की फैक्ट्स स्टेटमेंट में बताया गया है। लेट पेमेंट पेनल्टी रोकने वाली होती है और इसका मकसद DMI को बॉरोअर की पेमेंट की ज़िम्मेदारियों के उल्लंघन से होने वाले नुकसान और जोखिमों की भरपाई करना है और इसे कैपिटलाइज़ नहीं किया जाएगा या किसी अलग सर्विस या सुविधा के लिए कंसीडरेशन के तौर पर नहीं माना जाएगा।

3.6. फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स में कहीं और कही गई किसी भी बात के बावजूद, EPI समेत सभी बॉरोअर ड्यूज़, बॉरोअर को DMI को तब देने होंगे जब DMI मांगेगा, यह पूरी तरह से उसकी मर्ज़ी पर होगा और इसके लिए कोई कारण नहीं बताया जाएगा। बॉरोअर को ऐसी रकम, बिना किसी देरी या रुकावट के, ऐसी मांग के 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर चुकानी होगी।

3.7. लागू इंटरेस्ट रेट, मुख्य तथ्य कथन में बताए अनुसार होगा। बॉरोअर यह मानता है और स्वीकार करता है कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन के मामले में, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क रेट प्लस स्प्रेड से लिंक होगा और बेंचमार्क रेट या स्प्रेड में कोई भी बदलाव होने पर, मंज़ूर किए गए लोन पर लागू फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट आगे के आधार पर रीसेट हो जाएगा। DMI के पास समय-समय पर अपनी मर्ज़ी से बेंचमार्क रेट या स्प्रेड को रिव्यू करने और बदलने का अधिकार है।

3.8. अगर लागू फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट (चाहे बेंचमार्क रेट या स्प्रेड में बदलाव की वजह से) रीसेट होता है, तो बॉरोअर को EPIs की संख्या और/या मंज़ूर लोन के समय में बदलाव या दोनों को मिलाकर चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा, जैसा कि बॉरोअर को बताया जाएगा। बॉरोअर को बिना किसी प्री-क्लोज़र चार्ज के, पार्ट या फुल, प्रीपे करने का ऑप्शन

दिया जाएगा।

3.9. अगर बेंचमार्क रेट या स्प्रेड में कोई बदलाव होता है, जिससे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट रीसेट हो जाता है, तो ऊपर बताए गए आधार पर EPIs का बदला हुआ शेड्यूल DMI द्वारा बॉरोअर को लिखकर बताया जाएगा ।

3.10. इसके अलावा, अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट को ऊपर बताए गए तरीके से रीसेट किया जाता है, तो बॉरोअर के पास कन्वर्ज़न चार्ज और DMI द्वारा बताई गई दूसरी शर्तों के पेमेंट के बाद फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर स्विच करने का ऑप्शन होगा ।

3.11. अगर लोन शुरू में फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर 7 (सात) साल से ज़्यादा समय के लिए दिया गया है, तो लोन देने वाले को लोन मिलने की तारीख से 7 साल खत्म होने पर लागू इंटरेस्ट रेट को फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में बदलने का अधिकार होगा। लोन मिलने की तारीख से 7 साल पूरे होने से 90 (नब्बे) दिन पहले, लोन देने वाला बॉरोअर को उस समय के फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट और लागू कन्वर्ज़न चार्ज के बारे में लिखकर बताएगा और बॉरोअर को बिना किसी प्रीपेमेंट चार्ज के सैंक्शन्ड लोन को प्रीपे करने का ऑप्शन देगा। अगर बॉरोअर 7 साल खत्म होने से पहले प्रीपे करने का ऐसा ऑप्शन नहीं लेता है , तो लोन देने वाले को लागू इंटरेस्ट रेट को फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में बदलने का अधिकार होगा।

3.12. लोन लेने वाले को सभी ड्यूटी, सेस और दूसरे तरह के टैक्स देने होंगे, चाहे वे अभी लागू हों या भविष्य में, जो फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत DMI को किए गए किसी भी पेमेंट के संबंध में किसी भी समय किसी भी कानून के तहत देने होंगे। लोन लेने वाला सभी बकाया रकम और फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स को लागू करने या लोन के संबंध में कोई भी रिकवरी की कार्रवाई करने में DMI द्वारा उठाए गए सभी खर्चों, ड्यूटी, लेवी आदि के लिए ज़िम्मेदार होगा। लोन लेने वाला यह मानता है कि अगर इस एग्रीमेंट पर कोई स्टाम्प ड्यूटी लागू होती है, तो लोन लेने वाला उसके लिए ज़िम्मेदार होगा। अगर ऊपर बताई गई कोई भी ड्यूटी, चार्ज, टैक्स और खर्च DMI द्वारा उठाए जाते हैं, तो उन्हें लोन लेने वाले से वसूला जाएगा और पेमेंट की तारीख से लेकर रीइंबर्समेंट तक ओवरड्यू चार्ज लगेंगे। लोन लेने वाले(ओं) द्वारा DMI को दिए गए सभी चार्ज नॉन-रिफंडेबल हैं और लोन लेने वाला यह वादा करता है कि वह किसी भी हालत में DMI से अपने द्वारा दिए गए किसी भी चार्ज के रिफंड, एडजस्टमेंट या सेट ऑफ का दावा नहीं करेगा ।

3.13. **अगर बॉरोअर ड्यू डेट पर EPIs का पेमेंट नहीं करता है या यहां दिए गए किसी भी ज़रूरी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है, तो बॉरोअर से की फैक्ट स्टेटमेंट में बताए गए रेट पर ओवरड्यू चार्ज लिया जाएगा। इससे DMI के दूसरे अधिकारों और उपायों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही, यह साफ़ किया जाता है कि ओवरड्यू चार्ज देने की ज़िम्मेदारी से बॉरोअर को यह दावा करने का अधिकार नहीं होगा कि नीचे बताई गई कोई डिफ़ॉल्ट घटना नहीं हुई है।** ओवरड्यू **चार्ज को लेंडर कैपिटलाइज़ नहीं करेगा , यानी ऐसे ओवरड्यू चार्ज पर कोई और ब्याज नहीं लगाया जाएगा।**

3.14. ब्याज और कोई भी दूसरा चार्ज 30/360 दिन के कन्वेंशन के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा ।

3.15. अगर किसी पेमेंट की ड्यू डेट कोई बिज़नेस डे नहीं है, तो लोन लेने वाले को अमाउंट अगले बिज़नेस डे पर देना होगा ।

3.16. बॉरोअर यह मानता है कि लागू इंटरेस्ट रेट, ओवरड्यू चार्ज, सर्विस चार्ज और दूसरे चार्ज जो बॉरोअर फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत देने के लिए सहमत है, उसे सही और मंज़ूर हैं।

3.17. DMI को रेट ब्याज / किसी भी दूसरे चार्ज को बदलने का हक होगा और DMI EPIबकाया चुकाने के लिए स्वीकृत ऋण / की संख्या को फिर से कैलकुलेट कर सकता है EPI। DMI द्वारा बॉरोअर को बताया गया कोई भी ऐसा बदलाव, आगे से लागू होगा और बॉरोअर पर आखिरी और ज़रूरी होगा। ऐसे बदलाव के मामले में ब्याज, बॉरोअर को ऐसे बदलाव के 30 (तीस) दिनों के अंदर, बिना किसी प्रीपेमेंट पेनल्टी के, पूरे बकाया सैंक्शन्ड लोन को जमा हुए इंटरेस्ट (अगर लागू हो) के साथ प्रीपे करने का हक होगा।

3.18. बॉरोअर द्वारा DMI को किया गया कोई भी पेमेंट लिया जाएगा। आदेश में निम्नलिखित बकाया राशि के प्रति , अर्थात् :

a. लागत, शुल्क, खर्च, आकस्मिक शुल्क, और अन्य पैसा वह मई ऋण के संबंध में डी.एम.आई. द्वारा व्यय किया गया है ;
b. अतिदेय शुल्क;

c. ब्याज; और
d. मूलधन की अदायगी मात्रा का ऋण।

3.19. अगर बॉरोअर किसी भी ड्यू अमाउंट से ज़्यादा किसी भी अमाउंट का प्री-पेमेंट करता है, तो ऐसे पेमेंट को अगले ड्यू EPI में एडजस्ट किया जाएगा और बाकी रकम बॉरोअर को EPI की अगली ड्यू डेट पर या उससे पहले देनी होगी। अगर ऐसा पेमेंट अगले EPI के अमाउंट से ज़्यादा होता है, तो अगले ड्यू EPI से ज़्यादा अमाउंट को बकाया प्रिंसिपल में एडजस्ट किया जाएगा और लोन के बचे हुए टाइम को कम करने के लिए रीपेमेंट शेड्यूल को बदला जाएगा (EPI की कुल संख्या कम करके)।

4. एनएसीएच और पीडीसी

4.1. ऋण लेने वाला, डीएमआई द्वारा समय-समय पर अपेक्षित अनुसार, देय राशि के भुगतान के लिए ऋण लेने वाले के बैंक खाते के विरूद्ध आरबीआई द्वारा अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा/राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) (डेबिट क्लियरिंग)/कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य क्लियरिंग मैंडेट (सामूहिक रूप से " **मैंडेट " के रूप में संदर्भित) प्रदान करेगा। ऐसा मैंडेट ऋण** लेने वाले के ऐसे बैंक और खाते से निकाला जाएगा जो डीएमआई को स्वीकार्य हो। ऋण लेने वाला देय तिथियों/मैंडेट की पहली प्रस्तुति पर बिना चूके सभी भुगतानों का सम्मान करेगा । ऋण लेने वाले द्वारा प्रदान किया गया मैंडेट डीएमआई द्वारा ऋण लेने वाले के किसी भी बकाया की वसूली के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऋण लेने वाला इसके द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से डीएमआई को ऋण लेने वाले को अग्रिम सूचना देने या देने के साथ या उसके बिना ऐसी वसूली के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करता है। बॉरोअर को तुरंत (और किसी भी हालत में 7 (सात) दिनों के अंदर) DMI द्वारा समय-समय पर मांगे जाने पर, बॉरोअर के ड्यूज़ के पेमेंट के लिए बनाए गए मैंडेट और /या दूसरे डॉक्यूमेंट्स को अपनी मर्ज़ी से बदलना होगा। मैंडेट रजिस्ट्रेशन के रिजेक्ट होने पर, बॉरोअर को की फैक्ट स्टेटमेंट में दिए गए मैंडेट रिजेक्शन चार्ज भी देने होंगे।

4.2. बॉरोअर को DMI के पास उतने PDCs भी जमा करने होंगे जितने मुख्य तथ्य कथन में बताए गए हैं। बॉरोअर को DMI द्वारा समय-समय पर, अपनी मर्ज़ी से ज़रूरत के हिसाब से तुरंत (और किसी भी हालत में 7 (सात) दिनों के अंदर) PDCs बदलने होंगे ।

4.3. उधारकर्ता को हर समय अपने बैंक अकाउंट/अकाउंट्स में, जिसके लिए मैंडेट जारी किया गया है, बॉरोअर के ड्यूज़ का पेमेंट ड्यू डेट्स पर करने के लिए काफ़ी पैसे रखें । बॉरोअर उस बैंक अकाउंट/अकाउंट्स को बंद नहीं करेगा जिससे मैंडेट/PDCs जारी किए गए हैं या बैंक या DMI को मैंडेट/PDCs के तहत पेमेंट रोकने या देर करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा या कैंसिल नहीं करेगा और DMI ऐसे किसी भी कम्युनिकेशन पर ध्यान देने के लिए मजबूर नहीं है । ऐसे किसी भी इंस्ट्रक्शन को भी इवेंट ऑफ़ डिफॉल्ट माना जाएगा।

4.4. बॉरोअर का दिया गया मैंडेट उस मैंडेट की तारीख तक वैलिड रहेगा और बॉरोअर यह दावा नहीं करेगा कि बॉरोअर का दिया गया मैंडेट या ऐसा कोई दूसरा मैंडेट किसी भी वजह से इनवैलिड है। अगर ओरिजिनल PDCs का वैलिडेशन पीरियड खत्म हो जाता है , तो बॉरोअर को तुरंत (और किसी भी हालत में 7 (सात) दिनों के अंदर) PDCs को नए PDCs से बदलना होगा।

4.5. बॉरोअर इस बात से सहमत है और मानता है कि मैंडेट/PDCs बॉरोअर के ड्यूज़ के पेमेंट के लिए अपनी मर्ज़ी से जारी किया गया है, न कि किसी भी मकसद के लिए सिक्योरिटी के तौर पर। बॉरोअर यह भी मानता है कि किसी भी मैंडेट/PDC का अनादर करना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट , 1881/ पेमेंट एंड सेटलमेंट्स एक्ट, 2007 के तहत एक क्रिमिनल ऑफेंस है। बॉरोअर को चेक या मैंडेट्स (जैसा कि की फैक्ट स्टेटमेंट में बताया गया है) सहित स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के हर अनादर के लिए बाउंस चार्ज देना होगा ।

4.6. बॉरोअर यह मानता है कि ऐसे बाउंस चार्ज लेंडर द्वारा एक रोकथाम के उपाय के तौर पर लगाए जाते हैं ताकि बॉरोअर को डिसऑनर चेक/मैंडेट जारी करने से रोका जा सके और यह इस एग्रीमेंट के उल्लंघन के लिए लिक्विडेटेड डैमेज की तरह है । बताए गए बाउंस चार्ज का मकसद DMI को बॉरोअर की पेमेंट की ज़िम्मेदारियों के उल्लंघन से होने वाले नुकसान और जोखिमों की भरपाई करना है। बॉरोअर यह भी मानता है कि ऐसे बाउंस चार्ज लगाने से लोन या उसके किसी हिस्से का रीपेमेंट लागू करने के लेंडर के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, या इस एग्रीमेंट या किसी लागू कानून के तहत लेंडर को मिलने वाले किसी भी दूसरे अधिकार या उपाय का इस्तेमाल करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

4.7. भी तरह का कोई भी झगड़ा या मतभेद, बॉरोअर को किसी भी EPI या दूसरी रकम का पेमेंट रोकने या देर करने का

हक नहीं देगा और DMI को ड्यू डेट्स पर मैंडेट/PDCs पेश करने का हक होगा।

4.8. तिस पर भी मैंडेट जारी करने और PDCs जमा करने के बाद, बॉरोअर बकाया का समय पर पेमेंट पक्का करने के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार होगा।

4.9. इसके अलावा, DMI चेक/ NEFT/RTGS/पेमेंट के दूसरे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से भी पेमेंट लेगा और बॉरोअर अपने ड्यूज़ का पेमेंट करने के लिए ज़रूरत पड़ने पर इन ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि, बॉरोअर इस बात से सहमत है और मानता है कि अगर मैंडेट के अलावा किसी और तरीके से ड्यूज़ का पेमेंट किया जाता है , तो ट्रांज़ैक्शन के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज बॉरोअर को देना होगा और उससे वसूला जाएगा।

5. एसेट क्लासिफिकेशन (SMA/NPA क्लासिफिकेशन डेट्स वगैरह के उदाहरण)

ऋणदाता उधारकर्ता को सूचित करता है कि, आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार – आरबीआई द्वारा 12 नवंबर, 2021 को जारी स्पष्टीकरण, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, डीएमआई उधारकर्ता खातों में प्रारंभिक तनाव को, डिफ़ॉल्ट होने पर तुरंत, नीचे उल्लिखित वर्गीकरण के आधार पर विशेष उल्लेख खातों ("एसएमए") के रूप में वर्गीकृत करके पहचानेगा :

"अतिदेय तिथि" का अर्थ है वह तिथि जिस दिन उधारकर्ता के खातों को दिन की समाप्ति प्रक्रिया के भाग के रूप में अतिदेय के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

उदाहरण : अगर लोन अकाउंट की ड्यू डेट महीने की 15-Mar-22 है और DMI के इस तारीख के लिए डे-एंड प्रोसेस चलाने से पहले पूरा ड्यू नहीं मिलता है, तो बॉरोअर को नीचे दिए गए कैटेगरी में रखा जाएगा –

EPI नियत तिथि	**15-मार्च-22**	**देय तिथि से पहले के दिन (DPD)**	**-**
की तारीख अतिदेय	15-मार्च-22	30 तक	एसएमए0
एपि अभी भी बाकी है (प्रोसेस के आखिर तक नहीं मिला)	14-अप्रैल-22	31-60	एसएमए1
EPI अभी भी ओवरड्यू है (प्रोसेस के आखिर तक नहीं मिला)	14-मई-22	61-90	एसएमए2
EPI अभी भी ओवरड्यू है (प्रोसेस के आखिर तक नहीं मिला)	13-जून-22	91 और उससे अधिक	एनपीए

क्लासिफ़ाई किए गए लोन अकाउंट को 'स्टैंडर्ड' एसेट के तौर पर तभी अपग्रेड किया जा सकता है, जब बॉरोअर ब्याज और प्रिंसिपल का पूरा बकाया चुका दे।

उदाहरण:

विवरण	**परिद्रश्य 1***	**परिदृश्य 2**
ऋण वर्गीकरण	एनपीए	एनपीए
ईपीआई राशि	5,000	5,000
अतिदेय ईपीआई	15,000	15,000

भुगतान प्राप्त	5,000	15,000
शेष अतिदेय ईपीआई	10,000	-
ऋण वर्गीकरण	जब तक पूरा बकाया अमाउंट नहीं चुका दिया जाता, तब तक बॉरोअर को NPA के तौर पर रिपोर्ट किया जाता रहेगा।	मानक

*RBI के सर्कुलर नंबर RBI/2021-2022/158 DOR.STR.REC.85/21.04.048/2021-22, तारीख 15 फरवरी, 2022 के अनुसार, सिनेरियो 1 (NPA के तौर पर क्लासिफाइड को 'स्टैंडर्ड' एसेट के तौर पर तभी **अपग्रेड किया जा सकता है** , जब ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया चुका दिया गया हो) 01 अक्टूबर, 2022 से लागू होगा।

टिप्पणी

i. NPA अकाउंट्स की रिपोर्टिंग अब रोज़ाना की जाएगी।

ii. अगर बॉरोअर ने DMI से एक से ज़्यादा लोन लिए हैं, तो लोन अकाउंट को NPA से स्टैंडर्ड एसेट कैटेगरी में तभी अपग्रेड किया जाएगा, जब सभी लोन से जुड़े ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया चुका दिया जाएगा।

iii. किसी अकाउंट को NPA के तौर पर क्लासिफ़ाई करने का असर क्रेडिट ब्यूरो द्वारा मेंटेन किए जाने वाले क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है। इसलिए, DMI सभी बॉरोअर से रिक्वेस्ट करता है कि वे लोन रीपेमेंट शेड्यूल/की फ़ैक्ट स्टेटमेंट में बताई गई ड्यू डेट के हिसाब से अपना EPI पेमेंट करें। इससे क्रेडिट स्कोर में सुधार होता है, पेनल्टी से बचा जा सकता है, और टॉप-अप लोन/ऑफ़र के लिए एलिजिबिलिटी बेहतर होती है।

iv. हम सभी बॉरोअर को EPIs का पेमेंट करने के लिए https://portal.dmifinance.in/ पर लॉग इन करने के लिए कहते हैं।

6. सुरक्षा

6.1. कर्जदार यह वादा करते हैं कि बकाया रकम का पेमेंट नीचे दिए गए सिक्योरिटी इंटरेस्ट बनाकर सुरक्षित किया जाएगा:

a. की फैक्ट स्टेटमेंट में बताई गई प्रॉपर्टी पर DMI के पक्ष में मॉर्गेज के ज़रिए पहला , एक्सक्लूसिव और कंटीन्यूअस चार्ज

b. स्वीकृत ऋण और ब्याज की कुल राशि के लिए डीएमआई के पक्ष में एक डिमांड प्रॉमिसरी नोट का निष्पादन

c. अगर लागू हो, तो गारंटर से गारंटी, जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में बताया गया है, DMI के पक्ष में

d. बॉरोअर द्वारा जारी PDCs, जैसा कि की फैक्ट स्टेटमेंट में बताया गया है; और

e. कोई भी ऐसी अतिरिक्त सुरक्षा जिसकी DMI को समय-समय पर ज़रूरत हो सकती है।

6.2. बॉरोअर को DMI के पक्ष में, ऐसी दूसरी प्रॉपर्टीज़ या एसेट्स पर एडिशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट बनाना होगा जो DMI को किसी मटीरियल एडवर्स इफ़ेक्ट के होने पर, DMI की संतुष्टि के लिए मंज़ूर हो सकते हैं। अगर बॉरोअर ऐसा एडिशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट बनाने में फेल रहता है, तो इसे डिफ़ॉल्ट का इवेंट माना जाएगा। DMI, DMI द्वारा अपॉइंट किए गए वैल्यूअर से प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवाने का हकदार होगा। DMI, बॉरोअर से ऐसे वैल्यूएशन

करवाने का भी हकदार होगा जिसे वह ठीक समझे। ऐसे किसी भी वैल्यूएशन से जुड़े चार्ज, कॉस्ट और खर्च बॉरोअर को उठाने होंगे ।

6.3. बॉरोअर द्वारा DMI को दी गई सभी सिक्योरिटी (जो बनाई जा सकती हैं या बनवाई जा सकती हैं) जिसमें गारंटी (अगर लागू हो) भी शामिल है, DMI के पक्ष में एक जारी सिक्योरिटी बनी रहेगी और बॉरोअर द्वारा बीच के पेमेंट या बॉरोअर द्वारा अकाउंट के किसी सेटलमेंट से खत्म नहीं होगी और DMI को तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक सभी ड्यूज़ का पेमेंट नहीं हो जाता और DMI द्वारा सिक्योरिटी इंटरेस्ट साफ़ तौर पर रिलीज़ नहीं कर दिया जाता ।

6.4. बॉरोअर ने DMI की संतुष्टि के लिए प्रॉपर्टी का एक अच्छा और मार्केटेबल टाइटल बनाया है/बनाएगा। बॉरोअर कन्फर्म करता है कि प्रॉपर्टी पर पहले से कोई लियन नहीं है और यह किसी भी एन्कम्ब्रेन्स से मुक्त है ।

6.5. सुरक्षा हित उधारकर्ता के समापन (स्वैच्छिक या अन्यथा), विलय, समामेलन, पुनर्निर्माण, प्रबंधन के अधिग्रहण, विघटन या राष्ट्रीयकरण से प्रभावित, क्षीण या निर्वहन नहीं होगा ।

6.6. बॉरोअर को ऊपर बताए गए सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बनाने और पूरा करने के लिए सभी ज़रूरतें पूरी करनी होंगी, जिसमें बिना किसी लिमिट के प्रॉपर्टी के टाइटल डीड DMI के पास जमा करना , टाइटल डीड जमा करने का सबूत देने वाला डिक्लेरेशन करना, CERSAI और मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स (अगर लागू हो) जैसी संबंधित अथॉरिटी के पास कोई भी चार्ज रजिस्टर करना और इंश्योरेंस पॉलिसी पर ज़रूरी एंडोर्समेंट लेना और DMI को उसका प्रूफ़ देना शामिल है, ताकि DMI संतुष्ट हो जाए। ऐसे डॉक्यूमेंट्स DMI को इस एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले या उसी समय दिए जाएंगे।

6.7. जब भी DMI मांगे, बॉरोअर को DMI को प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी देनी होगी और समय-समय पर सभी स्टेटमेंट, रिपोर्ट, रिटर्न, सर्टिफिकेट और जानकारी देनी होगी और उन्हें वेरिफाई करना होगा और DMI के पक्ष में प्रॉपर्टी पर बनाए गए सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लागू करने के लिए DMI द्वारा मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना होगा।

6.8. बॉरोअर यह वादा करता है कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट और सभी सेल से मिली रकम, इंश्योरेंस से मिली रकम और उससे जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स हमेशा DMI के ऑर्डर पर उसके पास रहेंगे और DMI के दिए गए निर्देशों के अनुसार ही उन पर काम किया जाएगा।

6.9. DMI, सभी ड्यूज़ के सेटलमेंट और फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत सभी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के 30 (तीस) दिनों के अंदर, प्रॉपर्टी के टाइटल डीड बॉरोअर को DMI के ऐसे ऑफिस/ब्रांच में जारी करेगा, जैसा कि सैंक्शन लेटर में बताया गया है।

7. सकारात्मक वाचाएं

7.1. उधारकर्ता को:

a. वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी दायित्वों का पालन और निष्पादन करना ;

b. संपूर्ण स्वीकृत ऋण का उपयोग केवल मुख्य तथ्य कथन में बताए गए उद्देश्य के लिए करें और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करें, और विशेष रूप से इसका उपयोग (i) पूंजी बाजारों में किसी भी निवेश के लिए नहीं करें, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां शामिल हैं (ii) प्राथमिक सोना, सोने की बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयों और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयों सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद या (iii) किसी भी सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य के लिए या (iv) किसी भी गतिविधि के लिए जो कानून द्वारा अवैध या निषिद्ध है या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है;

c. उधारकर्ता को शीघ्रतापूर्वक और डी.एम.आई. से किसी नोटिस या अनुस्मारक की आवश्यकता के बिना, वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार ई.पी.आई. का भुगतान करना होगा ;

d. DMI को समय-समय पर ज़रूरत पड़ने पर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट समेत सभी डॉक्यूमेंट्स तुरंत DMI को देने होंगे। बॉरोअर DMI को यह भी अधिकार देता है कि वह (a) किसी भी बैंक से, जहाँ बॉरोअर का अकाउंट है, अलग से बात करे और बैंक से ऐसे अकाउंट के बारे में डिटेल्स और स्टेटमेंट मांगे; और (b)

बॉरोअर के किसी भी सप्लायर/वेंडर/कस्टमर से, जैसा DMI ज़रूरी समझे, जिसमें बॉरोअर की क्रेडिट की योग्यता और फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के कम्प्लायंस की मॉनिटरिंग करना शामिल है ;

e. किसी भी उधारकर्ता के खिलाफ किसी भी मुकदमे या कानूनी कार्यवाही की तुरंत डीएमआई को सूचित करें ;

f. भौतिक प्रतिकूल प्रभाव या चूक की घटना के बारे में डीएमआई को सूचित करना ;

g. ऐसे उधारकर्ता के मामले में जो कि एकमात्र स्वामित्व या साझेदारी है, उधारकर्ता का एकमात्र स्वामी/साझेदार बकाया ऋण को ब्याज और अन्य देयताओं और शुल्कों सहित पूरी तरह चुकाए बिना रोजगार या व्यवसाय या विदेश में लंबी अवधि तक रहने के लिए भारत नहीं छोड़ेगा;

h. व्यवसायिक आय को उस खाते में जमा करना सुनिश्चित करना जिससे डीएमआई को अधिदेश/पीडीसी जारी किए गए हैं;

i. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 सहित लागू कानूनों का हर समय अनुपालन करें ;

j. बॉरोअर अपने खर्च पर प्रॉपर्टी को अच्छी हालत में रखेगा और मंज़ूर लोन के समय के दौरान उसमें सभी ज़रूरी काम, सुधार और मेंटेनेंस करेगा ताकि प्रॉपर्टी की कीमत कम न हो। बॉरोअर सभी लागू नियमों, रेगुलेशन, बाय-लॉज़ का पालन करेगा। संपत्ति के संबंध में किसी भी सहकारी समिति या संघ के ऋण आदि के भुगतान और संपत्ति के संबंध में देय रखरखाव और अन्य शुल्क का भुगतान करें। उधारकर्ता इस स्वीकृत ऋण और सुरक्षा हित के जारी रहने के दौरान हर समय संपत्ति के संबंध में लागू कानून के तहत उधारकर्ता(ओं) द्वारा वैध रूप से देय होने वाले किसी भी कर, शुल्क और करों का विधिवत और समय पर भुगतान करेगा । इसके अलावा, उधारकर्ता संपत्ति के किसी भी हिस्से या हिस्सों को लागू कानून के तहत उधारकर्ता(ओं) द्वारा देय किसी भी ऐसे कर, शुल्क और करों के भुगतान से रोकेगा(ओं) और समय पर सभी दावों का निर्वहन करेगा और सभी करों, शुल्कों और करों का भुगतान करेगा जो लागू कानून के अनुसार उधारकर्ता(ओं) द्वारा वैध रूप से देय हैं और संपत्ति को प्रभावित करेंगे ;

k. उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास संपत्ति पर पूर्ण, स्पष्ट और विपणन योग्य स्वामित्व है तथा संपत्ति पूर्णतया भारमुक्त व किसी भी प्रकार की देयता से मुक्त होगी ।

l. उधारकर्ता तब तक संपत्ति का पूर्ण बीमा कराएगा , और उसे अपने खर्चे पर बीमित रखेगा, जिसमें बीमा उचित रूप से हानि प्राप्तकर्ता या लाभार्थी के रूप में डीएमआई के पक्ष में या उसके लाभ के लिए किया जाएगा। संपत्ति के लिए ऐसा बीमा मानक व्यापक पैकेज पॉलिसी होगी, जिसमें भूकंप, दंगा, नागरिक हंगामा, बाढ़ और ऐसे अतिरिक्त जोखिम/देयता शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जिनसे संपत्ति आमतौर पर प्रभावित होती है। उधारकर्ता ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, जो संपत्ति के संबंध में किसी बीमा दावे को सीमित, शून्य या रद्द करने योग्य बनाता हो;

यदि उधारकर्ता ऐसी बीमा पॉलिसी प्राप्त करने में और/या डीएमआई को इसका प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो डीएमआई उधारकर्ता के खर्च पर संपत्ति का बीमा कर सकता है (लेकिन ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं होगा)। यदि डीएमआई संपत्ति के बीमा के लिए/के लिए बीमा प्रीमियम, या कोई अन्य धनराशि का भुगतान करता है, तो उधारकर्ता डीएमआई द्वारा भुगतान की गई ऐसी सभी राशियों की प्रतिपूर्ति करेगा। यदि उधारकर्ता डीएमआई द्वारा भुगतान की गई बीमा प्रीमियम की राशि की प्रतिपूर्ति करने में विफल रहता है, तो इसे उधारकर्ता की ओर से चूक माना जाएगा और डीएमआई अपने विवेक पर पूरी बकाया राशि वापस ले सकता है और उधारकर्ता डीएमआई द्वारा मांगी गई धनराशि का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा। पूर्वोक्त के बावजूद, बीमा प्राप्त करने की प्राथमिक जिम्मेदारी उधारकर्ता की है,

अगर किसी भी वजह से प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होता है, तो इंश्योरेंस से मिली रकम पर पहला क्लेम DMI का होगा, जिसे DMI बॉरोअर के ड्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा, प्रॉपर्टी को कोई भी कुल नुकसान/क्षति होने पर, अगर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा तय किया गया क्लेम अमाउंट बॉरोअर के कुल बकाया ड्यूज़ से कम है, तो बॉरोअर को तुरंत अपने ड्यूज़ का पूरा बकाया अमाउंट DMI को देना होगा;

डीएमआई को अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत और अपने एकमात्र विवेक पर उधारकर्ता की ओर से, उधारकर्ता के एकमात्र जोखिम और लागत पर कार्य करने, और सभी आवश्यक कदम उठाने, कार्रवाई

करने और कार्यवाही करने का अधिकार है, जैसा डीएमआई ठीक समझे (i) किसी भी बीमा के तहत या उससे संबंधित किसी भी विवाद को समायोजित करने, निपटाने, समझौता करने या मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए और ऐसा समायोजन, निपटान, समझौता और ऐसी मध्यस्थता पर किया गया कोई भी पुरस्कार उधारकर्ता के लिए वैध और बाध्यकारी होगा, या (ii) ऐसे किसी भी बीमा के तहत या उसके तहत किए गए किसी भी दावे के तहत देय सभी धनराशि प्राप्त करने और उसके लिए वैध रसीद देने, और ऐसी आय को यहां दी गई शर्तों के अनुसार लागू करने के लिए। यदि डीएमआई बीमा दावों या कार्यवाही के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करने का विकल्प चुनता है और/या इस आधार पर कि दावों/निपटान की एक बड़ी राशि या राशि प्राप्त हो सकती थी या मिलनी चाहिए थी या ऐसे समायोजन के बाद देय शेष राशि के लिए उधारकर्ता की देयता पर विवाद करने का हकदार है, तो उधारकर्ता डीएमआई के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।

m. उधारकर्ता तुरंत डीएमआई को निम्नलिखित के बारे में लिखित नोटिस देगा: (i) संपत्ति को किसी भी कारण से होने वाली हानि या क्षति, (ii) उधारकर्ता और संपत्ति से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई मुकदमा या विवाद , (iii) भौतिक परिस्थितियाँ/घटना जिससे भौतिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, और (iv) उधारकर्ता के कार्यालय/निवास/व्यापार के स्थान/पते में परिवर्तन या व्यवसाय में कोई परिवर्तन/बंद होना;

n. लोन लेने वाला, लोन के पेंडिंग रहने के दौरान प्रॉपर्टी में किए जाने वाले किसी भी बदलाव या प्रॉपर्टी के इस्तेमाल के बारे में बताएगा और उसकी जानकारी देगा ; और

o. बॉरोअर इस बात से सहमत है कि DMI या उसके या किसी रेगुलेटर द्वारा ऑथराइज़्ड किसी भी व्यक्ति को इंस्पेक्शन के लिए प्रॉपर्टी, उस जगह, जहाँ से बॉरोअर काम करता है, और बॉरोअर के अकाउंट्स की बुक्स तक फ्री एक्सेस होगा। बॉरोअर DMI, उसके रेगुलेटर, DMI द्वारा अपॉइंट किए गए थर्ड पार्टी, या उसके रेगुलेटर द्वारा ऐसे कामों के लिए किए गए सभी खर्चों और लागतों को रीइम्बर्स करेगा।

8. नकारात्मक अनुबंध

8.1. उधारकर्ता को ये नहीं करना चाहिए:

a. डीएमआई की लिखित सहमति के बिना, संपत्ति पर किसी भी इमारत या संरचना (किसी अस्थायी संरचना को छोड़कर) या उससे जुड़े किसी भी फिक्स्चर या फिटिंग को गिराना या हटाना या संपत्ति में कोई भी भौतिक परिवर्तन या परिवर्धन करना, जो संपत्ति के रखरखाव के सामान्य क्रम में नहीं है ;

b. डीएमआई की पूर्व लिखित अनुमति के बिना संपत्ति या उसके किसी भाग पर भार डालना या उसे बेचना, गिरवी रखना, पट्टा देना, समर्पित करना या अन्यथा अलग करना/आंशिक कब्जा देना या संपत्ति से निपटने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी या समान दस्तावेज निष्पादित करना ;

c. डीएमआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना संपत्ति या उसके किसी हिस्से के उपयोग या कब्जे के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ कोई समझौता या व्यवस्था करना ;

d. संपत्ति के संबंध में ऐसा कोई कार्य करना, जिससे संपत्ति या उसके किसी भाग से संबंधित लाइसेंस, परमिट, बीमा रद्द और/या अमान्य और/या निलम्बित हो जाए;

e. डीएमआई की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, ऋण वितरण के समय जिस संपत्ति का उपयोग किया जा रहा था, उसके उपयोग में परिवर्तन करना, या किसी अनधिकृत या अवैध उद्देश्य के लिए संपत्ति का उपयोग करना;

f. संपत्ति को किसी अन्य समीपवर्ती संपत्ति के साथ समामेलित या विलय नहीं करना और न ही संपत्ति पर कोई मार्गाधिकार या कोई अन्य सुखाधिकार सृजित करना ;

g. किसी के लिए ज़मानत देना या किसी ऋण के पुनर्भुगतान या किसी संपत्ति के खरीद मूल्य की गारंटी देना ;

h. डीएमआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना, उधारकर्ता के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति देना, जिससे उधारकर्ता का प्रभावी लाभकारी स्वामित्व या नियंत्रण किसी भी तरह से बदल

जाएगा;

i. डीएमआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना विलय, एकीकरण, समझौता या पुनर्निर्माण की किसी योजना पर निर्णय लेना या उसमें प्रवेश करना;

j. अगर किसी EPI का पेमेंट उसकी ड्यू डेट पर नहीं होता है, तो वह अपने मेंबर्स/पार्टनर्स को कोई डिविडेंड घोषित करेगा या कोई डिस्ट्रीब्यूशन करेगा; और

k. अपने बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स या बराबर की मैनेजमेंट बॉडी में ऐसे व्यक्ति को शामिल करें जिसका नाम RBI की विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट में हो और अगर ऐसा कोई व्यक्ति RBI के बोर्ड में पाया जाता है, तो वह उस व्यक्ति को अपने बोर्ड से हटाने के लिए तेज़ी से और असरदार कदम उठाएगा।

9. वारंटी और अभ्यावेदन

9.1. बॉरोअर DMI को इस तरह रिप्रेजेंट और वारंट करता है :

a. लोन एप्लीकेशन में बॉरोअर द्वारा दी गई सभी जानकारी और DMI को दिया गया कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट, चाहे वह आपके लिए ज़रूरी हो या न हो। उधारकर्ता की ऋण पात्रता का पता लगाना सत्य और सही है तथा किसी भी तरह से भ्रामक नहीं है;

b. उधारकर्ता लागू कानूनों के अनुसार विधिवत संगठित और वैध रूप से स्थापित है और वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत इसके द्वारा घोषित अनुसार अपना व्यवसाय करने का हकदार है;

c. उधारकर्ता सभी लागू कानूनों के तहत वित्तपोषण दस्तावेजों और उसके तहत लेनदेन को निष्पादित करने और निष्पादित करने में सक्षम और हकदार है ;

d. ऋण लेने वाले के पास वित्तपोषण दस्तावेज तैयार करने की पूरी क्षमता, शक्ति और अधिकार है और इस प्रकार निष्पादित और वितरित किए गए वित्तपोषण दस्तावेज ऋण लेने वाले के लिए कानूनी तौर पर बाध्यकारी होंगे;

e. न तो उधारकर्ता द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों का निष्पादन और वितरण, न ही उधारकर्ता के किसी दायित्व का प्रदर्शन या पालन, किसी कानून, क़ानून, नियम, आदेश, ट्रस्ट, समझौते या अन्य उपकरणों, व्यवस्था, दायित्व या कर्तव्य के साथ संघर्ष करेगा या उसका उल्लंघन होगा जिससे उधारकर्ता बाध्य है। उधारकर्ता ने सभी लागू कानूनों का पालन किया है और करता रहेगा और वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों के प्रदर्शन और अपने व्यवसाय को जारी रखने के लिए लागू कानूनों के अंतर्गत आवश्यक सभी संबंधित अधिकारियों से सभी आवश्यक लाइसेंस / प्राधिकरण प्राप्त कर लिए हैं;

f. उधारकर्ता ने मुख्य तथ्य विवरण और वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार किसी तीसरे पक्ष के किसी दबाव/प्रभाव/दबाव के बिना स्वीकृत ऋण को समझ लिया है और लाभ उठाने के लिए सहमति दे दी है;

g. ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, जो डी.एम.आई. के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले या उधारकर्ता की वित्तीय स्थितियों को प्रभावित करे या वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत उनके सभी या किसी भी दायित्व को निभाने की उनकी देयता को प्रभावित करे;

h. उधारकर्ता के पास संपत्ति पर एक विपणन योग्य और अच्छा शीर्षक है जिस पर उसने डीएमआई के पक्ष में सुरक्षा हित बनाया है;

i. फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के नियम DMI के पक्ष में, लागू कानून के अनुसार, कानूनी, वैध और लागू करने लायक सिक्योरिटी इंटरेस्ट बनाने के लिए लागू हैं। सभी ज़रूरी और सही रिकॉर्डिंग और फाइलिंग सभी ज़रूरी और सही पब्लिक ऑफिस में की जा चुकी हैं/की जाएंगी, और बाकी सभी ज़रूरी और सही कार्रवाई की जा चुकी है/की जाएगी, ताकि हर ऐसे डॉक्यूमेंट से बनाया गया सिक्योरिटी इंटरेस्ट सभी अधिकार, टाइटल और इंटरेस्ट पर पहली प्राथमिकता वाला, पूरा सिक्योरिटी इंटरेस्ट बने;

j. पूरी संपत्ति या उसके किसी हिस्से पर कोई बंधक, शुल्क, लिस पेंडेंस या ग्रहणाधिकार या अन्य भार या रास्ते, प्रकाश या पानी का कोई अधिकार या अन्य सुख-सुविधा या समर्थन का अधिकार नहीं है ;

k. कि बॉरोअर किसी भी लिटिगेशन में पार्टी नहीं है और बॉरोअर को ऐसे किसी भी फैक्ट्स के बारे में पता नहीं है जिससे ऐसा लिटिगेशन या बॉरोअर या सिक्योरिटी के खिलाफ कोई मैटेरियल क्लेम हो सकता है। बॉरोअर के खिलाफ कोई बैंकरप्सी या इन्सॉल्वेंसी प्रोसिडिंग्स शुरू नहीं हुई हैं ;

l. यह कि उधारकर्ता को किसी दस्तावेज़, निर्णय या कानूनी प्रक्रिया या अन्य आरोपों या संपत्ति के शीर्षक को प्रभावित करने वाले किसी अव्यक्त या पेटेंट दोष या संपत्ति में किसी भी भौतिक दोष के बारे में पता नहीं है जो प्रकट नहीं किया गया है और/या जो डीएमआई को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है;

m. बॉरोअर को किसी भी रेगुलेटरी/ कानूनी अथॉरिटी और/या बैंकों और/या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और/या नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों वगैरह ने डिफॉल्टर्स की किसी लिस्ट में शामिल नहीं किया है।

n. कोई डिफ़ॉल्ट या मटीरियल एडवर्स इफ़ेक्ट की घटना नहीं हुई है और/या मौजूद है या जारी है; और

o. यह कि संपत्ति केन्द्रीय/राज्य सरकार या किसी अन्य सार्वजनिक निकाय या स्थानीय प्राधिकरण की किसी योजना में शामिल या प्रभावित नहीं है;

9.2. इस एग्रीमेंट में बॉरोअर के सभी रिप्रेजेंटेशन और वारंटी, इस एग्रीमेंट की तारीख से हर दिन बॉरोअर द्वारा दोहराए गए माने जाएंगे, जब तक कि DMI को ड्यूज़ का पूरा पेमेंट नहीं हो जाता। और अगर किसी भी दिन या किसी भी समय कोई रिप्रेजेंटेशन या वारंटी गलत या गलत साबित होती है, तो बॉरोअर तुरंत DMI को बताएगा ।

9.3. उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उसने https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/ पर DMI की गोपनीयता नीति को पढ़ लिया है और उसी के लिए अपनी सहमति दे दी है। उधारकर्ता स्वीकार करता है और DMI को ऋण प्रदान करने और उसकी निगरानी, उसके पुनर्भुगतान और वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों के अनुपालन के लिए और DMI की व्यावसायिक आवश्यकताओं और गोपनीयता नीति में विस्तृत रूप से बताए गए किसी भी अन्य उद्देश्यों के लिए या जिसके लिए उधारकर्ता ने किसी अन्य तरीके से अपनी सहमति प्रदान की है, के लिए उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई या अन्यथा DMI द्वारा प्राप्त की गई जानकारी का उपयोग करने, संग्रहीत करने और संसाधित करने के लिए अपनी सहमति देता है। उधारकर्ता समझता है और सहमत है कि DMI लागू कानून के अधीन, अपने ठेकेदारों, एजेंटों और किसी भी अन्य तीसरे पक्ष को आवश्यकता के आधार पर या DMI की गोपनीयता नीति में प्रदान किए गए अनुसार या किसी वैधानिक/नियामक आवश्यकता के अनुसार आवश्यक हो सकता है, ऐसी जानकारी का खुलासा कर सकता है।

10. डिफ़ॉल्ट की घटनाएँ

10.1. नीचे दिए गए काम/ घटनाएँ, लोन के मकसद के लिए बॉरोअर की तरफ से डिफ़ॉल्ट की एक घटना मानी जाएँगी:

a. देय तिथि पर किसी भी देयता के भुगतान में कोई चूक (" **चूक की वित्तीय घटना** ");

b. वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत किसी भी शर्त, अनुबंध, प्रतिनिधित्व, वारंटी, घोषणा या पुष्टि का उल्लंघन ;

c. उधारकर्ता द्वारा कोई धोखाधड़ी या गलत बयानी या गलत बयान या महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना , जिससे ऋण देने के डीएमआई के निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता हो;

d. एकमात्र स्वामी की मृत्यु, पागलपन या कोई अन्य स्थायी विकलांगता (यदि उधारकर्ता एकमात्र स्वामित्व वाला है);

e. किसी भी घटना, स्थिति या हालात (कानून में किसी भी बदलाव सहित) का होना, जिसका DMI की एकमात्र और पक्की राय में कोई बुरा असर हो सकता है, जिसमें बॉरोअर के बैंकरप्सी/लिक्विडेशन/दिवालियापन के लिए किसी भी कार्रवाई या कार्रवाई की सीमा तय करना या उसके किसी भी एसेट को अटैच करना/रोकना या बॉरोअर द्वारा बिज़नेस बंद करना शामिल है।

f. संपत्ति या उसके किसी भाग की कोई गिरावट, विनाश, दुर्घटना, हानि;

g. प्रीमियम के समय पर भुगतान सहित निरंतर आधार पर संपत्ति का बीमा करने या बीमा बनाए रखने में कोई भी चूक ;

h. DMI की पहले से लिखी हुई मंज़ूरी/मंज़ूरी के बिना, DMI के पक्ष में रिकॉर्ड किए गए हाइपोथेकेशन के एंडोर्समेंट या संबंधित अथॉरिटी (जैसा लागू हो) के साथ रजिस्ट्रेशन को हटाना, बदलना/हेरफेर करना।

i. बॉरोअर समय-समय पर कानून के तहत प्रॉपर्टी के लिए लगाए गए किसी भी टैक्स या ड्यूटी या दूसरी चीज़ों का पेमेंट करने या ज़रूरी किसी भी दूसरी फॉर्मैलिटी को पूरा करने में फेल रहता है।

j. फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स की शर्तों के अनुसार सिक्योरिटी इंटरेस्ट बनाने या उसे पूरा करने में नाकामी, जिसमें मैंडेट/PDCs जारी करने या बदलने में नाकामी शामिल है।

11. डिफ़ॉल्ट की घटना के परिणाम

11.1. डिफ़ॉल्ट की घटना हुई है या नहीं, इस बारे में DMI का फ़ैसला बॉरोअर पर लागू होगा ।

11.2. किसी भी डिफ़ॉल्ट की घटना होने पर और उसके बाद किसी भी समय, DMI के पास यह अधिकार होगा कि वह लोन के सभी पेमेंट रोक दे, लोन के संबंध में बकाया सभी रकम को, चाहे वह बकाया हो या नहीं, तुरंत चुकाने लायक घोषित कर दे, लेकिन यह उसकी ज़िम्मेदारी नहीं होगी। और अगर बॉरोअर 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर पेमेंट नहीं कर पाता है, तो DMI अपनी मर्ज़ी से कोई भी दूसरा अधिकार या उपाय इस्तेमाल कर सकता है जो DMI को किसी भी लागू कानून के तहत मिल सकता है, जिसमें DMI के पक्ष में बनाई गई किसी भी सिक्योरिटी/प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करना, और/या बॉरोअर या उसके एसेट्स के खिलाफ कोई रोक या ज़ब्ती की मांग करना शामिल है। ऊपर बताई गई बातों के बावजूद, अगर बॉरोअर पेमेंट की तय तारीख से 90 (नब्बे) दिनों के अंदर अपने बकाया का पेमेंट नहीं करता है, तो DMI को, दूसरी बातों के साथ-साथ, उसे नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) के तौर पर क्लासिफ़ाई करने और क्रेडिट ब्यूरो एजेंसियों को उसकी रिपोर्ट करने का अधिकार होगा।

11.3. किसी भी फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट में दी गई किसी भी बात के बावजूद, डिफ़ॉल्ट होने पर, DMI अपनी मर्ज़ी से, बॉरोअर के खर्च पर, ज़रूरत के हिसाब से बकाया रकम की रिकवरी के लिए कार्रवाई/कार्रवाई/कदम शुरू कर सकता है और /या सिक्योरिटी इंटरेस्ट लागू कर सकता है । DMI या रिकवरी एजेंट, प्रॉपर्टी के DMI के कब्ज़े में रहने के दौरान हुए किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे और ऊपर बताई गई वजहों से होने वाले कोई भी खर्च, लागत और क्लेम पूरी तरह से बॉरोअर के अकाउंट में होंगे। बॉरोअर यह मानता है और सहमत है कि कब्ज़ा लेने से होने वाले रेवेन्यू या बिज़नेस के किसी भी नुकसान या किसी भी दूसरे नुकसान के लिए DMI किसी भी तरह से ज़िम्मेदार नहीं होगा। बॉरोअर ऊपर बताई गई बात के संबंध में DMI या रिकवरी एजेंट के खिलाफ कोई क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

11.4. किसी भी फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स में दी गई किसी भी बात के बावजूद, DMI अपनी मर्ज़ी से उन सभी अधिकारों और उपायों का इस्तेमाल कर सकता है जो लागू कानूनों के तहत उसे मिल सकते हैं।

12. सुरक्षा का कब्ज़ा और बिक्री

12.1. इस एग्रीमेंट की किसी भी शर्त के तहत DMI के किसी भी अधिकार पर कोई असर डाले बिना , DMI के पास इस एग्रीमेंट और लागू कानून के अनुसार प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करने का पूरा और बिना रोक-टोक वाला अधिकार होगा।

12.2. बॉरोअर सभी खर्चों और लागतों के लिए ज़िम्मेदार होगा, जिसमें बिना किसी सीमा के कोई भी डेमरेज फीस, पार्किंग चार्ज , टोइंग कॉस्ट, ब्रोकरेज, कानूनी खर्च (वकील की फीस सहित) शामिल हैं, जो DMI को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने में हो सकते हैं, जिसमें बिना किसी सीमा के सिक्योरिटी का रिपज़ेशन, मेंटेनेंस या बिक्री और ड्यूज़ की रिकवरी शामिल है।

12.3. सिक्योरिटी की बिक्री/बेचने से मिली कोई भी रकम इस एग्रीमेंट के हिसाब से इस्तेमाल की जाएगी। बॉरोअर सिक्योरिटी की ऐसी बिक्री/बेचने से बची हुई कोई भी बकाया रकम चुकाने के लिए ज़िम्मेदार होगा , इस एग्रीमेंट या कानून के तहत DMI के दूसरे अधिकारों और उपायों पर कोई असर डाले बिना। ऑब्लिगेशन से ज़्यादा मिली कोई भी रकम (जिसमें बिना किसी लिमिट के कोई भी खर्च शामिल है) बॉरोअर को वापस कर दी जाएगी।

13. त्याग

फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत DMI को मिलने वाले किसी भी अधिकार, पावर या उपाय का इस्तेमाल करने में कोई देरी या चूक, ऐसे किसी भी अधिकार, पावर या उपाय को कम नहीं करेगी या इसे उसकी छूट या ऐसे डिफॉल्ट में कोई मंज़ूरी नहीं माना जाएगा। किसी भी डिफॉल्ट के संबंध में DMI की कोई भी कार्रवाई या कोई कार्रवाई न करना

या किसी डिफॉल्ट में उसकी कोई मंज़ूरी, किसी दूसरे डिफॉल्ट के संबंध में DMI के किसी भी अधिकार, पावर या उपाय पर असर नहीं डालेगी या उसे कम नहीं करेगी ।

14. प्रतिभूतिकरण और असाइनमेंट

उधारकर्ता स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता है कि DMI, उधारकर्ता को संदर्भ या किसी सूचना के बिना, पूरी तरह से हकदार होगा और उसके पास स्वीकृत लोन और सभी बकाया राशि और वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अधिकारों और दायित्वों और किसी भी सुरक्षा (गारंटी/गारंटियों सहित) को, किसी भी तरीके से, पूरे या आंशिक रूप से और ऐसी शर्तों पर बेचने, असाइन करने, सुरक्षित करने या स्थानांतरित करने का पूरा अधिकार और अधिकार होगा, जैसा कि DMI तय करे, जिसमें इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा देय किसी भी राशि के लिए डिफ़ॉल्ट की स्थिति में असाइनी/हस्तांतरिती की ओर से उधारकर्ता, अतिरिक्त सुरक्षा या गारंटर के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार DMI के पास सुरक्षित रखना शामिल है। ऐसी कोई भी बिक्री, असाइनमेंट, हस्तांतरण या प्रतिभूतिकरण उधारकर्ता को बाध्य करेगा और ऐसे हस्तांतरण, असाइनमेंट या प्रतिभूतिकरण की स्थिति में, उधारकर्ता ऐसे असाइनी या हस्तांतरणकर्ता के प्रति वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने दायित्व का पालन करेगा और करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे में, अगर DMI कहे, तो बॉरोअर ट्रांसफरी/असाइनी के पक्ष में मैंडेट/PDCs को बदल देगा।

कर्जदार को डीएमआई की पहले से लिखी हुई इजाज़त के बिना, सीधे या परोक्ष रूप से फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत फायदे या ज़िम्मेदारी बेचने/ट्रांसफर करने/असाइन करने या किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई थर्ड-पार्टी इंटरेस्ट बनाने का हक नहीं होगा ।

15. हानि से सुरक्षा

उधारकर्ता DMI, उसके निदेशकों, अधिकारियों, एजेंटों, कर्मचारियों और समनुदेशितियों को किसी भी नुकसान, क्षति, लागत के लिए क्षतिपूर्ति करने और क्षतिपूर्ति रखने का वचन देता है, जो (i) उधारकर्ता द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों की किसी भी शर्त के उल्लंघन, (ii) सुरक्षा के कब्जे, संचालन, उपयोग/दुरुपयोग या बिक्री से उत्पन्न तीसरे पक्ष की देयता सहित किसी भी देयता, या (iii) इस समझौते के तहत वित्तपोषण में ऋणदाता के पक्ष होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। उधारकर्ता DMI द्वारा की गई पहली मांग पर इस खाते पर मांगी गई किसी भी राशि का बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, प्रतियोगिता, विरोध के तुरंत भुगतान करने का वचन देता है ।

16. शासन कानून, अधिकार क्षेत्र और विवाद समाधान

सभी फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स भारत के कानूनों के तहत आएंगे। फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स से होने वाले किसी भी या सभी विवादों पर दिल्ली, भारत की अदालतों का खास अधिकार क्षेत्र होगा (यह आर्बिट्रेशन की कार्यवाही के अधीन होगा जो दिल्ली, भारत में भी की जाएगी)।

इन प्रस्तुतियों से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, मतभेद और/या दावे या इसके निर्माण, अर्थ या प्रभाव के बारे में या फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत पार्टियों के अधिकार और देनदारियों के बारे में, वेबन्याय प्राइवेट लिमिटेड के ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म या हमारी वेबसाइट [*https://www.dmifinance.in/wp-content/uploads/2025/05/Arbitration.pdf] पर सूचीबद्ध ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके आर्बिट्रेशन नियमों(“* **नियम** ”) के अनुसार वर्चुअली तय किए जाएंगे । पार्टियां सहमत हैं कि आर्बिट्रेशन नियमों के तहत नियुक्त ऐसे आर्बिट्रेटर के समक्ष होगा और, इस उद्देश्य के लिए, एग्रीमेंट में उपलब्ध, दिए गए या अन्यथा संदर्भित ईमेल एड्रेस और/या मोबाइल नंबर पर विचार किया जाएगा। प्रत्येक पार्टी आर्बिट्रेशन कार्यवाही के दौरान अपने ईमेल एड्रेस और/या मोबाइल नंबर में किसी भी बदलाव की स्थिति में ऐसी संस्था को सूचित करने के लिए जिम्मेदार होगी। यदि आर्बिट्रेटर की राय में आर्बिट्रेशन कार्यवाही वर्चुअली संचालित नहीं की जा सकती है, तो कार्यवाही शारीरिक रूप से आयोजित की जाएगी। आर्बिट्रेशन की जगह दिल्ली होगी और कार्यवाही आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 के सेक्शन 29(B) में बताए गए फास्ट-ट्रैक प्रोसीजर के तहत होगी। आर्बिट्रेशन के अंतरिम अवॉर्ड सहित सभी संबंधित पार्टियों के लिए फाइनल और बाइंडिंग होंगे। आर्बिट्रेटर बिना कोई कारण बताए अवॉर्ड पास कर सकते हैं ।

फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स में शामिल कोई भी बात लेंडर के अधिकारों, उपायों और उनके इस्तेमाल को सीमित या नुकसान नहीं पहुंचाएगी या प्रभावित नहीं करेगी, जिसमें बिना किसी सीमा के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट, 2002 या बैंकों और फाइनेंशियल

इंस्टीट्यूशंस एक्ट, 1993 के बकाया कर्ज की रिकवरी, या इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 या आर्बिट्रेटर/ट्रिब्यूनल/कोर्ट प्रोसेस के तहत शामिल है और ऐसे किसी भी मामले में, लेंडर इस क्लॉज के तहत प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकता है।

इसके अलावा, यह धारा फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के खत्म होने के बाद भी लागू रहेगी ।

17. मिश्रित

17.1. DMI अपने आम काम में जो रिकॉर्ड और अकाउंट रखता है, वह फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत बकाया ड्यूज़ के होने और उनकी रकम का पक्का सबूत होगा और DMI का दिया गया ड्यूज़ का कोई भी स्टेटमेंट बॉरोअर को मान लिया जाएगा और वह उस पर लागू होगा।

17.2. ऋण लेने वाला यह व्यक्त करता है, पहचानता है और स्वीकार करता है कि डीएमआई ऐसे कार्यों को स्वयं या अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से करने के अपने अधिकार पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, हकदार होगा और उसके पास एक या एक से अधिक तीसरे पक्ष (" **सेवा प्रदाता** ") को नियुक्त करने की पूरी शक्ति और अधिकार होगा, जैसा कि डीएमआई चुन सकता है और ऐसे तीसरे पक्ष को ऋण समझौतों के तहत अपने सभी या किसी भी कार्य, अधिकार और शक्तियों को सौंप सकता है, जो ऋण लेने वाले से संबंधित जानकारी के सोर्स, पहचान और सत्यापन, स्वीकृत ऋण के प्रशासन और निगरानी से संबंधित है और इसके साथ जुड़े सभी वैध कार्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को निष्पादित और निष्पादित करता है जिसमें नोटिस भेजना, ऋण लेने वाले से संपर्क करना, ऋण लेने वाले से नकद/चेक/ड्राफ्ट/अधिदेश प्राप्त करना शामिल है। उपर्युक्त उद्देश्य के लिए, डीएमआई ऐसे तीसरे पक्षों को ऋण लेने वाले और स्वीकृत ऋण से संबंधित सभी आवश्यक या प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करने का हकदार होगा सर्विस प्रोवाइडर को DMI, बॉरोअर से बकाया रकम वसूलने/कब्ज़ा लेने के लिए रिकवरी एजेंट/कलेक्शन एजेंट/एजेंसी के तौर पर भी अपॉइंट कर सकता है और ऐसे रिकवरी एजेंट/एजेंसी/कलेक्शन एजेंट/एजेंसी की डिटेल्स मुख्य तथ्य कथन में दी जाएंगी या DMI द्वारा बदलाव या अपडेट किए जाने पर बॉरोअर को लिखकर बताया जाएगा।

17.3. अगर एक से ज़्यादा बॉरोअर ने मिलकर लोन के लिए अप्लाई किया है , तो लोन लेने वालों की ज़िम्मेदारी होगी कि वे मंज़ूर लोन को ब्याज, चार्ज, लागत वगैरह के साथ चुकाएं और फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के नियम और शर्तों का पालन करें ।

17.4. उधारकर्ता स्वीकार करता है और DMI को उधारकर्ता, ऋण, उधारकर्ता द्वारा किए गए किसी भी डिफ़ॉल्ट से संबंधित सभी जानकारी और डेटा को ऐसे तीसरे पक्ष/एजेंसियों को प्रकट करने के लिए अधिकृत करता है, जिन्हें DMI स्वीकृत ऋण के संबंध में अपने अधिकारों और उपायों के प्रयोग के लिए प्रकट करना उचित और आवश्यक समझे और/या RBI द्वारा अधिकृत किया जाए, जिसमें क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी शामिल है। उधारकर्ता यह भी स्वीकार करता है और ऐसी जानकारी को DMI/तीसरे पक्ष/क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी/ RBI द्वारा उपयोग और संसाधित करने के लिए अधिकृत करता है, जैसा वे उचित समझें और लागू कानूनों के अनुसार। इसके अलावा, डिफ़ॉल्ट की स्थिति में, DMI और ऐसी एजेंसियों के पास उधारकर्ता/या उसके निदेशकों/भागीदारों/सह-आवेदकों के नाम को, जैसा लागू हो, 'डिफॉल्टर' के रूप में ऐसे तरीके से और ऐसे माध्यम से प्रकट करने या प्रकाशित करने का पूर्ण अधिकार होगा, जैसा कि DMI/क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी/RBI/अन्य अधिकृत एजेंसी अपने पूर्ण विवेक से उचित समझें, बॉरोअर, DMI को अभी या भविष्य में जानकारी शेयर करने और/या बताने के लिए ज़िम्मेदार नहीं मानेगा और न ही बॉरोअर और/या किसी और को इसकी वजह से होने वाले किसी भी नतीजे के लिए। इस क्लॉज़ के नियम एग्रीमेंट खत्म होने और बॉरोअर के ड्यूज़ चुकाने के बाद भी लागू रहेंगे। DMI, DMI के पास मौजूद किसी भी डेटा को किसी भी लागू कानून का पालन करने के लिए, जैसा उसे ठीक लगे, प्रोसेस कर सकता है, जिसमें कोई भी KYC/एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस करना शामिल है।

17.5. बॉरोअर सभी डॉक्यूमेंट्स और बदलावों को पूरा करेगा और DMI की ज़रूरत के हिसाब से DMI के साथ सहयोग करेगा (i) RBI की किसी भी गाइडलाइंस/डायरेक्शन्स का पालन करने के लिए या (ii) DMI को फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत अधिकारों का पूरा फ़ायदा देने के लिए। ऊपर बताई गई बातों पर बिना किसी भेदभाव के , बॉरोअर इस बात पर पूरी तरह सहमत है कि अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो ऐसे बदलाव फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स में शामिल माने जाएंगे और बॉरोअर पर लागू होंगे।

17.6. इस एग्रीमेंट के तहत DMI या बॉरोअर को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस या रिक्वेस्ट लिखकर दिया जाएगा। फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बॉरोअर को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस तभी वैलिड माना जाएगा जब वह बॉरोअर को दिया गया हो या रजिस्टर्ड पोस्ट से बॉरोअर के मौजूदा या आखिरी जाने-पहचाने बिज़नेस या प्राइवेट पते पर भेजा गया हो या छोड़ा गया हो। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया ऐसा कोई भी नोटिस, पोस्ट होने के 48 घंटे के अंदर

बॉरोअर को मिल गया माना जाएगा । DMI को भेजा गया कोई भी नोटिस तभी वैलिड माना जाएगा जब वह DMI को उसके ऊपर बताए गए पते पर मिला हो ।

17.7. किसी भी मंज़ूर लोन के सस्पेंशन या टर्मिनेशन के बावजूद, फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के अनुसार DMI के सभी अधिकार और उपाय तब तक बने रहेंगे जब तक DMI को बॉरोअर का पूरा ड्यूज़ नहीं मिल जाता।

17.8. मंज़ूर की सुविधा के बारे में किसी भी शिकायत के लिए , वह की फैक्ट स्टेटमेंट में दी गई जानकारी के ज़रिए DMI से संपर्क कर सकता है।

(*इस पेज का बाकी हिस्सा जानबूझकर खाली छोड़ा गया है*)

अनुसूची I

एस. नं.	**विवरण**	**विवरण**
1.	फांसी की जगह	
2.	निष्पादन की तिथि	
3.	स्वीकृति पत्र संख्या और दिनांक	
4.	ऋण खाता संख्या	
	गारंटर का विवरण	
5.	नाम	
6.	संविधान	□ मालिक □ भागीदारी □ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी □ एलएलपी □ व्यक्ति □ अन्य (कृपया बताएं)
7.	पता	
	उधारकर्ता(कों) का विवरण	
	उधार लेने वाला	
8.	नाम	
9.	संविधान	□ मालिक □ भागीदारी □ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी □ एलएलपी □ व्यक्ति □ अन्य (कृपया बताएं)
10.	पता	
	सह-उधारकर्ता 1	
11।	नाम	
12.	संविधान	□ मालिक □ भागीदारी □ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी □ एलएलपी □ व्यक्ति □ अन्य (कृपया बताएं)
13.	पता	
	सह-उधारकर्ता 2	
14.	नाम	
15.	संविधान	□ मालिक □ भागीदारी □ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी □ एलएलपी □ व्यक्ति □ अन्य (कृपया बताएं)
16.	पता	

मांग वचन पत्र

मांग पर मैं/हम _____ बिना शर्त **डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड** , जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वैध रूप से विद्यमान है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है, जिसका पंजीकृत कार्यालय एक्सप्रेस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110 002 में है (जिसे आगे " **डीएमआई** " कहा जाएगा), या उनके असाइनियों या उसके उत्तराधिकारियों को मांग पर, INR _____ की राशि, _____% (प्रतिशत) प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ, या एक दर पर जो समय-समय पर वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार डीएमआई द्वारा असाइन/तय की जा सकती है, साथ में अतिदेय शुल्क, लागत, खर्च और उधारकर्ता(ओं) द्वारा डीएमआई को देय और देय शुल्क का भुगतान करने का वादा करता/करते हूँ।

नीचे साइन करने वाले बिना किसी शर्त के और पक्के तौर पर इस नोट की मांग, प्रेजेंटेशन, नोटिंग और प्रोटेस्ट को माफ करते हैं।

जहां एक से ज़्यादा साइन करने वाले हैं, वहां हर साइन करने वाले की ज़िम्मेदारी दूसरों के साथ जॉइंट और सेवरली होती है। अगर साइन करने वाला किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, तो उस फर्म के बाकी सभी पार्टनर भी जॉइंट और सेवरली ज़िम्मेदार होते हैं।

राजस्व स्टाम्प

उधारकर्ता के लिए

_____

नाम:

जगह:

तारीख:

सह-उधारकर्ता 1 के लिए

_____

नाम:

जगह:

तारीख:

सह-उधारकर्ता 2 के लिए

_____

नाम:

जगह:

तारीख

संवितरण अनुरोध प्रपत्र

तारीख:

को,

डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

एक्सप्रेस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल

9-10, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग

नई दिल्ली – 110002

विषय: दिनांक _____ के स्वीकृति पत्र द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधा के वितरण हेतु अनुरोध

संदर्भ: लोन एप्लीकेशन नंबर _____

प्रिय महोदय/महोदया,

यह मेरी/हमारी फैसिलिटी के बारे में है जिसे आपने मंज़ूरी दी है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि लोन की रकम इस तरह से दें:

खाता धारक का नाम:

बैंक का नाम:

खाता संख्या:

खाता प्रकार:

शाखा:

आईएफएससी:

मात्रा:

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि,

1. मैं/हम ऊपर बताए गए डिस्बर्समेंट के लिए ज़िम्मेदार और लायबल होंगे और इसे मेरे साइन किए/स्वीकार किए गए फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत डिस्बर्स किया गया लोन माना जाएगा और यह उन फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स की शर्तों के हिसाब से होगा।
2. ब्याज की गणना फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स में बताए अनुसार की जाएगी।
3. अगर दी गई रकम का इस्तेमाल मैं/हम नहीं भी करते हैं, तो भी मुझे/हमें ब्याज देना होगा।

उधारकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम (यदि लागू हो):

सह-उधारकर्ता 1 के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम (यदि लागू हो):

सह-उधारकर्ता 2 के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम (यदि लागू हो):